1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–3] दसवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पहला दिवस [संख्या–1

गुरुवार,

22 सितम्बर, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्र-गीत

श्री अध्यक्ष : वन्दे मातरम।
(वन्दे मातरम। वन्दे मातरम।
सुजलाम सुफलाम। मलयज शीतलाम।
शस्य श्यामलाम मातरम।
वन्दे मातरम।
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित ध्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम वरदाम मातरम।
वन्दे मातरम। वन्दे मातरम।

माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना है कि आज शोकाभिव्यक्ति बहुत से लोगों की है....(व्यवधान)....

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी)

प्रश्न काल चाहते हैं....(व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल नहीं चाहते.... (व्यवधान)....शोकाभिव्यक्ति, शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिए....(व्यवधान)....

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

शोकाभिव्यक्ति के बाद सब सुनूंगा मैं आपकी बात... (व्यवधान)....

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

आप प्रश्न काल चाहते हैं ? प्रश्न काल चाहते हैं ? (व्यवधान)....नहीं चाहते हैं ? (व्यवधान)....

प्रश्न काल स्थगित।

अब शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिये ... (व्यधान).... माननीय सदस्य शोकाभिव्यक्ति हो जाय फिर आप बोलिये.... (व्यवधान)....इस सदन में शोकाभिव्यक्ति के समय इस तरह का दृश्य कभी नहीं हुआ अच्छा नहीं है। यह अच्छा नहीं है। शोकाभिव्यक्ति (व्यवधान) ... हां कर

Page No. 2

(7)

(श्री अध्यक्ष)

दूंगा....(व्यवधान)... मैं आपको सुनकर सब.... (व्यवधान).... आप अपनी जगह बैठिये....(व्यवधान)....

श्री अरुणसिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाह रहा हूं.... (व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, मेरी जान को खतरा है, एक गृह मंत्री मेरे को मरवा रहा है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपया शोकाभिव्यक्ति होने दीजिये, आपकी सब बात सुनूंगा मैं, प्लीज, आप जो कहेंगे सब सुनेंगे, वे भी सुनेंगे, (व्यवधान)....वह भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। सारी बात सुनेंगे, शोकाभिव्यक्ति होने दीजिए। देखिये, आप यदि क्वश्चन आवर चाहते हैं तो क्वश्चन आवर करा दूं मैं ?

अनेक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) ....नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं चाहते तो मैंने सस्पैण्ड कर दिया है। शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिये....(व्यवधान)....कृपया शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिए।... (व्यवधान)...यह गलत परम्परा होगी.... शोकाभिव्यक्ति के समय यह ठीक नहीं है, यह गलत परम्परा होगी। यह उन मृत लोगों के प्रति अन्याय होगा, अश्रद्धा होगी। कृपया जिन मृत साथियों के शोक में ..(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने मृत लोगों की आत्माओं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सब सुनूंगा, सारी बात सुनूंगा, जो जीवित हैं उनकी बाद में सुनूंगा। पहले जो मर चुके हैं.... (व्यवधान)....उनके प्रति संवेदना हो जाय उसके बाद जो कहेंगे सुनूंगा मैं।....मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सारी बात सुनूंगा (व्यवधान)....

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, इनसे यह भी कहिए कि जो भी मृतक हैं उनके प्रति श्रद्धा रखें, यह भी कहिए कि एक दिन इनको भी मरना है और इनकी भी शोकाभिव्यक्ति करनी है इसलिए कम से कम इसमें तो साथ दें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिए ।....(व्यवधान)... शोकाभिव्यक्ति के समय यह दृश्य अच्छा नहीं है....(व्यवधान)....यहां आपको न्याय मिल रहा है, मैंने क्वश्चन आवर सस्पैण्ड कर दिया। आप शोकाभिव्यक्ति कर लीजिए फिर मैं आपको सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा पूरी....(व्यवधान).... हां, न्याय करूंगा, बिलकुल न्याय करूंगा, आपकी पूरी बात सुनकर न्याय करूंगा, आपकी बात सुनूंगा, न्याय कर रहा हूं मगर जो मृत व्यक्ति हैं उनके प्रति संवेदनशील बनिये... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : उन गरीबों को मारा है ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये खुद के प्रति भी संवेदनशील नहीं हैं....(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : ये सभी विवेक शून्य हो रहे हैं यहां पर।....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला (वैराठ) : इसके पहले उनके प्रति कार्यवाही करें।... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : विवेक शून्य हो रहा है विपक्ष। विपक्ष विवेक शून्य हो रहा है .. (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : कृपया शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिए। .. (व्यवधान) ...

(माननीय सदस्य श्री अरुणसिंह सदन के वल में आकर धरने पर बैठे।)

एक माननीय सदस्य : इनके इंजेक्शन लगाया जाय तभी इनका +++ ठीक होगा। ...(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिए। यह दृश्य अच्छा नहीं है।.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : सी. बी. आई. से जांच करवाएं।....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : कोई कार्यवाही नहीं चलेगी, कार्यवाही स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। .... (व्यवधान)....

शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, पूर्व राज्यपाल, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश का देहावसान हुआ है मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, पूर्व मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश रहे हैं का देहावसान हुआ है मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री राजकुमार जयचन्द्रसिंह, पूर्व मुख्य मंत्री, मणिपुर थे उनका भी देहावसान हुआ है मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राजेश्वर राव जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत अच्छे सदस्य रहे हैं, मजदूरों के मसीहा रहे हैं, मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे, मजदूरों की आवाज को बुलन्द करने की कोशिश की मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मांगीलाल रेगर, भूतपूर्व सदस्य, छठी एवं नवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं, उनका भी देहावसान हुआ है। उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपया मृत लोगों के प्रति सम्मान दिखावें। यह सम्मान सारे पक्ष को सम्मान है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : श्री सूरजपाल सिंह, भूतपूर्व मंत्री एवं सदस्य, छठी, सातवीं एव आठवीं राजस्थान विधान सभा रहे उनका भी स्वर्गवास हुआ। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री छोगालाल कंवरिया, भूतपूर्व मंत्री एवं सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभा, श्री तुलसीराम परेवा, भूतपूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा, श्री घूणीलाल गुप्ता, भूतपूर्व सदस्य, सातवीं विधान सभा, श्री रामप्रसाद चड्ढा, भूतपूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : देखिये, शोकाभिव्यक्ति हो जाने दें उसके बाद फिर सोचूंगा मैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री हरिकृष्ण, भूतपूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा, श्री शिवनारायण छाछिया, भूतपूर्व सदस्य, तीसरी राजस्थान विधान सभा....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : इस सरकार ने जिन्दा लोगों को ही मुर्दा बना दिया इसलिए पहले उनका इन्तजाम करें, सरकार इस्तीफा दे, यह सरकार नहीं चलेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री मोहब्बत-सिंह, भूलपूर्व सदस्य, पहली व दूसरी राजस्थान विधान सभा, श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, भूतपूर्व सदस्य, दूसरी राजस्थान विधान सभा....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : जिन्दा लोगों को ही मार दिया, लूटा गया पहले उनके प्रति कार्यवाही की जाय, सी.बी.आई. से जांच करवाएं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री रघुवीर-सिंह जावली, भूतपूर्व सदस्य, दूसरी राजस्थान विधान सभा एवं श्री मालूराम लेघा, भूतपूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा....(व्यवधान)....इन सबका देहावसान हुआ है ..(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : यह सरकार इस्तीफा दे, लोगों को पैसा लौटाया जाय, यह सरकार इस्तीफा दे । ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन सबके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके शोक-संतप्त परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।....(व्यवधान)....साथ ही जिन लोगों ने आजादी के आन्दोलन में कुर्बानियां दी हैं वे सब इस बात की आशा रखते थे कि उन्होंने देश के प्रति जो कुछ किया है उससे देश कभी भी उऋण नहीं हो सकता । मैं चाहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि जिसके आधार पर ये सब भी उनको आज श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर सकें....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री सुरेन्द्रनाथजी का जन्म सन्....(व्यवधान) प्लीज । सार्जेन्ट । (व्यवधान).... आप मेहरबानी करके....(व्यवधान) प्लीज, आप बैठिये । प्लीज । (व्यवधान).... इसको पढ़ा हुआ माना जाय । (व्यवधान)....शोकाभिव्यक्ति को पढ़ी हुई मानी जाय । (व्यवधान)

(शोकाभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष द्वारा पढ़ी हुई मानी जाय)

दो सैकण्ड के लिए कृपया मौन खड़े हो जायं ।

(तदनन्तर सदन ने मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धाञ्जलि अर्पित की)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)....मैं समझता हूं, आज जो दृश्य दिखा रहे हो आप, दिखाइये (व्यवधान) इसको तोड़ दीजिये (व्यवधान) इसको भी तोड़ दीजिये (व्यवधान) मेरा सिर फोड़िये (व्यवधान)

(11.23)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। आप लोग बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजिये। आप बिराजिये (व्यवधान) आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

Hon'ble Members, it gives me immense pleasure in informing this august House that Ms. Betty Boothroyd, Hon'ble Speaker of the House of Commons, U.K, which House is universally acclaimed as the Mother of Parliaments, on a visit to India has come to this historical Pink City of Jaipur and at the moment is with us in the Governor's Box to witness the proceedings of this Assembly... (Interruption)

We are so happy that Hon'ble Speaker could find time to visit Rajasthan Legislative Assembly. We welcome here most heartily.... (interruptions)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जसवन्तगढ़ तहसील लाडनूं जिला नागौर में मेघवाल जाति के परिवारों को बेदखल करने की कथित वारदात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की जावरां लघु सिंचाई परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर बांध के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के अकाल संभाव्य क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य के कृषि विद्युत उपभोक्ताओं के

(श्री हरजीराम बुरडक)

कनेक्शन पर लोड बढ़ाने की अनुमति तुरन्त प्रदान कीजाकर, विद्युत चोरी की घटनाएं रोकने के सम्बन्ध में।

(4) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ा हुआ माना जाए। (व्यवधान)....

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

श्री सभापति : आसन के प्रति इस तरह का व्यवहार सभी सदस्यों के लिये.... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय....

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या-3) सदन की मेज पर रखता हूं।....(व्यवधान)

श्री सभापति : सचिव, मेज पर रखेंगे।

विधेयकों का विवरण

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव : मैं, दशम् राजस्थान विधान सभा के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :–

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1994

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1994

(3) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994

(4) राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994

(5) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

(6) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1994

(7) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 1994

(8) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1994

(9) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994

(10) राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994

(11) राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994

(12) राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994

(13) राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994

(14) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994

(15) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994

(श्री सचिव)

(16) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994

(17) राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1994

(18) राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994

(19) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

(व्यवधान)

अध्यादेश

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : सभापति महोदय, मैं (1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या-2) एवं (2) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या-4) सदन की मेज पर रखता हूं।... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग-निवारण) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या-1) सदन की मेज पर रखता हूं.... (व्यवधान)

अधिसूचना

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : मैं वित्त (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 4 (8) वित्त/ग्रुप-4/89-17 दिनांक 9 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 के एस. टी. 4 के प्रारूप में संशोधन कर प्रतिस्थापित किया गया, सदन की मेज पर रखता हूं....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं अधिसूचना संख्या प. 1/6(9) गृह-5/86 दिनांक 12 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत समस्त सेवाओं को एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवा घोषित किया गया है, एवं

(2) अधिसूचना संख्या प. 1/6(9) गृह-5/86 दिनांक 12 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत समस्त सेवाओं में हड़ताल किये जाने पर एतद्द्वारा प्रतिषेध किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं....(व्यवधान)...

(11.34)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री श्रीकिशन सोनगरा (खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1990-1991-92 एवं सदन की मेज पर रखता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Members, it gives me immense pleasure.... (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

I will see you.....(व्यवधान) बाद में देखूंगा आपको ...(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया (सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1994–95 अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1988–89 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट (आदिवासी क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों से सम्बन्धित) सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं....(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं....(व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ....(व्यवधान)

(11.40)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान) ...

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : × × ×

श्री सभापति : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : × × ×

श्रीमती कमला (बैराठ) : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर): × × ×

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : × × ×

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : × × ×

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्रीमती कमला : × × ×

श्रीमती मीना अग्रवाल : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : × × ×

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 9

(9)

श्री सभापति : बिराजिए आप बिराजिए।

श्रीमती कमला : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : × × ×

श्री टीकमचन्द कान्त : × × ×

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.55 बजे एक घण्टे के लिये स्थगित हुई)

(पुन: समवेत होने पर)

(समय 12.55)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान) ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनें। (व्यवधान) मुझे पूछने तो दो....(व्यवधान) आपकी बात को गौर से सुनने दो.... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप पूछिये, मैं बताऊंगा ना वहां आकर....(व्यवधान) आसन पैरों पर है, कृपया बैठें। बैठिये, माननीय सदस्य ... (व्यवधान) कृपया बैठिये....(व्यवधान) आप चाहते क्या हैं? ....(व्यवधान) जांच के बारे में मैं बहस कराने के लिए तैयार हूं....(व्यवधान) आप लोग बहस भी नहीं चाहते.... (व्यवधान) आप लोग शोकाभिव्यक्ति भी नहीं देना चाहते....(व्यवधान) किसानों के न्याय की बात भी नहीं चाहते....(व्यवधान) आसन पैरों पर है, कृपया बिराजिये। बिराजिये माननीय सदस्य....(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन सदन में बहस कराने के लिए तैयार है।....(व्यवधान)

कृपया बिराजें....(व्यवधान)

आप लोग बैठें माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें.... (व्यवधान)

माननीय परसरामजी कुछ बोल रहे हैं ... (व्यवधान).... माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ बोल रहे हैं.... (व्यवधान)....

कृपया बिराजें....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य बैठें।....(व्यवधान)
कार्यवाही चाहते हैं?....(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 1 घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13-बजकर 31 मिनट पर 1 घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(पुन: समवेत होने पर)

(समय : 14.30)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 16.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.31 बजे 16.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(पुन: समवेत होने पर)
(11.58 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी)

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति का
सातवां प्रतिवेदन

श्री महावीरप्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। (व्यवधान)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1994 को मध्यान्ह पश्चात् 15.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1994 से शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1994 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1994 शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर, 1994 } बैठक नहीं होगी रविवार, दिनांक 25 सितम्बर, 1994 } बैठक नहीं होगी सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर, 1994 मंगलवार, दिनांक, 27 सितम्बर, 1994 बुद्धवार, दिनांक 28 सितम्बर, 1994 गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर, 1994	1. राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 2. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 –का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण। 3. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1994-95 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन, उन पर विचार एवं पारण।
	4. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994 –का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1994 (व्यवधान)	: गैर सरकारी कार्य दिवस

Page No. 11

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी.... (व्यवधान) इनको हटा दो यहां से....(व्यवधान).... प्रजातन्त्र का गला घोटोगे आप.... (व्यवधान).... प्रजातन्त्र का गला घोटोगे आप.... व्यवधान

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

श्री अनंगकुमार जैन (प्रभारी मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं ।....(व्यवधान)....

विधेयक पर विचार

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे....(व्यवधान)....

श्री अनंगकुमार जैन (प्रभारी मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।.... (व्यवधान)....

श्री अनंगकुमार जैन (प्रभारी मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाय । ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : इनको बाहर निकालो.... (व्यवधान) निकाल दो.... (व्यवधान).... यह क्या हो रहा है....

प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली (संशोधन) विधेयक 1994 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।....

....(व्यवधान)....सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.02 बजे शुक्रवार, दिनांक 23.09.1994 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट

नियम 295 के अन्तर्गत सूचना

सचिव,
राजस्थान विधानसभा,
जयपुर।

विषय :—अधूरी पड़ी जावरा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अन्तर्गत नियम 295

महोदय,

तहसील एवं जिला बूंदी की जावरा लघु सिंचाई परियोजना का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अन्तर्गत 21 मई, 1987 को प्रारम्भ किया गया था। जवाहर रोजगार योजना एवं अकाल राहत के तहत भी कार्य करवाया गया है। इस बांध के निर्माण से ग्राम जावरा, जावरा की झोपड़ियाँ हरिपुरा, भीमगंज, गुल-खेड़ी, गुढ़ामकदूला गांवों के लाभान्वित होने के साथ ही इस क्षेत्र के गांवों को अकाल से निजात मिल सकेगी। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जहां की पूरी आबादी को लाभ मिल सकेगा। नवी विधानसभा में दिनांक 26–9–90 को आवंटन संख्या 103 पर सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 9/सि.मं./सिचाई से भी राज्य सरकार ने इस बांध से लाभान्वित होने वाले गांवों में अधिकतर खर्च अकाल रहने एवं बांध निर्माण से अकाल के स्थाई समाधान में सहायता होगी स्वीकार किया है। इस बांध के निर्माण से उपरोक्त वर्णित ग्रामों के निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। बांध निर्माण की आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा इस बांध को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है।

अतः जनहित को मध्य नजर रखते हुए जावरा लघु सिंचाई परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाकर बांध के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

भवदीय
Sd/-
(रामनारायण वर्मा)
वि० सं० 139

(13)

सचिव महोदय,
राज. विधानसभा,
जयपुर
मान्यवर,

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न मुद्दा विशेष उल्लेख के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं ।

लूणकरणसर विधानसभा का क्षेत्र राज्य के अकाल संभाव्य क्षेत्रों में से प्रमुख है । विगत वर्षों में प्रमुखतः इं. गा. न. प. के माध्यम से इस क्षेत्र में सिचाई सुविधाओं से ग्रामीण जन जीवन में अपेक्षित सुधार आया है गंभीर पेयजल समस्या के समाधान में सुधार हुआ है लेकिन अभी तक सीमित क्षेत्र में ही हो रहा है। इसके विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश हैं नई सिचाई तकनीक अपनाकर ।

वर्तमान में इं. गा. नं. मुख्य नहर के बायें किनारे आर. डी. 395 से 460 के मध्य निकाले गतिपंथ माइनर्स से संभावित क्षेत्रों का सर्वे करके कृष्णनगर, रामनगर खारबीरा, रानेर दामोलाई एवं आर. डी. 504 (एल) व आर. डी. 487 (एल) के मध्य सर्वे करके गोरीसर, करणीसर, महादेववाली, मुख्य नहर के आर. डी. 655 (एल) से मोतीगढ़, बरजू, बराला, करणीसर भाटियान, आर. डी. 710 से 730 (एल) से भानीपुरा, रामसर छोटा, भगवतावाला–गांवों के रक्बे को सिचाई सुविधाएं दी जा सकती है । पगल शाखा से पी. के. डी. नहर

इसके साथ योजना से लूणकरणसर क्षेत्र के सूर्य, बरबूसर, दुलवासर, जैतपुर, खोडाला, अपरपुरा ढाणी पाडंसर, राजासर शेरूसर को सर्वे में लिया गया है लेकिन कार्य शुरू किया गया है ।

कंवरसेन लिफ्ट व गजनेर लिफ्ट से इस क्षेत्र के लिये कई माइनर्स प्रस्तावित है जैसे एम सी. माइनर, कलेजी का विस्तार, शेरपुरा रावबाग-रानीसर माइनर मेधाना वितरिका, खारी व बंधर माइनर्स लाडेरा माइनर्स जिनको शीघ्र स्वीकृत करके लूणकरणसर तहसील के अन्य क्षेत्रों को जिनका लेवल 750 से कम है उनके लिये भी योजना बनाकर अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जावे । ये क्षेत्र है-खोख-राना, खिमेरा, सोढ़वाली थोरेरा पंचायत क्षेत्र, लूणकरणसर, कालू सकुजरी पंचायत क्षेत्र गजनेर लिफ्ट से नालवड़ी कानासर, खारा पंचायती क्षेत्र को लाभान्वित किया जा सकता हैं जिससे सरकार को गंभीरता से प्रयास करके इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर सुधारने का प्रयास करके इस पिछड़े क्षेत्र को अकाल समस्या से उबारा जाये ।

भवदीय
भीमसेन चौधरी
वि. सं. 107

(14)

सचिव,
राजस्थान विधानसभा,
जयपुर ।

विषय :— नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख ।

महोदय,

राज्य में कृषि उपभोक्ताओं द्वारा अपने कनेक्शनों पर लोड बढ़ाने के हजारों प्रार्थना पत्र कई वर्षों से विचाराधीन पड़े हैं। जिनका कारण शायद यह हो सकता है ट्रान्सफार्मर मौजूदा स्थिति में लोड बढ़ाने की क्षमता नहीं हो । परन्तु विद्युत चोरी रोकने के लिये वह भी एक कारगर कदम होगा। लोड बढ़ाने की प्रार्थना पत्र देते ही लोड बढ़ा दिया जावे तो विद्युत मण्डल की आय बढ सके इसके लिये कोई योजना बनाकर कार्य की जानी चाहिये ताकि बिजली की छीजत रोकी जा सके । इस प्रकार का आंशिक हल बिना किसी प्रकार का व्यय विशेष किया जा सकता है ।
गत निर्णय यह लेना पड़ेगा कि वर्तमान में जो लोड बढ़ाने का अधिकार अधीक्षण को दे रखा है तो अधिकार सहायक अभियन्ता को दे देना चाहिये क्योंकि ट्रान्सफार्मर के जो मामले हैं वो तो वैसे ही अधीक्षण अभियन्ताओं तक जाते हैं इसलिये मौजूदा ट्रान्सफार्मरों में जहां बढ़ाने की क्षमता मौजूद है वहां पर तत्काल कार्यवाही हो सके । जिससे बोर्ड की आय भी बढ़ सकेगी । दूसरा निर्णय यही लेना पड़ेगा कि मौजूदा समय में जो व्यवस्था कर रखी है उसमें प्रार्थना पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही होती है । जिससे यही प्राथमिकता वाले मामलों में ट्रान्सफार्मरों में क्षमता नहीं हैं तो उसमें शीघ्र कार्यवाही नहीं होती जिसके कारण बाद के प्रार्थना पत्र जिनमें बिना ट्रान्सफार्मर को दिये या बढ़ाया जा सकता है उसमें भी कार्यवाही नहीं होती । जिसके कारण जिन मामलों में ट्रान्सफार्मरों में क्षमता है वो तो खाली पड़ी रहती हैं और लोड बढ़ाने वाले प्रार्थना पत्र विचाराधीन पड़े रहते हैं इसलिये यदि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जिन क्षेत्रों में मौजूदा उपलब्ध क्षमता से लोड बढ़ाया जा सकता है उनको प्राथमिकता से अलग प्राथमिकता सूची बनाई जाये तो बाकी लोगों को समय पर लोड बढ़ाने का लाभ मिल सके और बोर्ड के पास उपलब्ध क्षमता का उपयोग हो सके और बोर्ड की आय भी किसी प्रकार के खर्च के बिना बढ़ सके तथा जिसकी छीजत व चोरों का प्रतिशत भी कम हो सके ।

राज्य सरकार से मेरा यह विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि उक्त नीति का निर्देश राज्य विद्युत सम्बन्धी के व्यवस्था करायें ताकि बोर्ड और उपभोक्ताओं के हित में यह कार्यवाही से काम हो सके।

भवदीय
हरजीराम बुरड़क
विभाजन संख्या 186

(15)

सेवा में,

सचिव, 21-9-94

राजस्थान विधानसभा,

जयपुर।

विषय : 295 के तहत माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुये नुकसान के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय,

माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत 40 वर्षों में जितनी बरसात किसी वर्ष नहीं हुई उतनी इसी वर्ष हुई है अब तक 1500 मि.मी. बरसात क्षेत्र में हो चुकी है जो एक रेकार्ड है इस बरसात के कारण क्षेत्र के कई बांध तालाब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं पेयजल का, सिंचाई का संकट क्षेत्र के किसानों व जनता के सामने उठ खड़ा हुआ है।

बिजोलियां में तेजाजी के चौक के वहां बिजोलियां ठिकाने द्वारा निर्मित करीब 100 वर्ष पुराना एक बहुत बड़ा तालाब जिसे गोविन्द सागर के नाम से जाना जाता है टूट गया जिसकी करीब 1500 फुट मिट्टी की पाल तीन जगहों से पूरी बह गई है जिससे तालाब का दो तिहाई पानी खत्म हो गया जो इस तालाब में रूकता है बिजोलिया में वैसे ही पेयजल का भयंकर संकट रहता है इस तालाब में बनी हुई बावड़ो से बिजोलिया को पेयजल की आपूर्ति रहती है। इस तालाब से निकली नदी करीब 8 माह बहती रहती है, परन्तु पानी निकल जाने से नदी का बहाव कम हो गया है और इससे इस क्षेत्र के ट्यूब वेल जिससे बिजोलिया को पानी मिलता है हजारों कुए जिससे कुओं का जल स्तर अच्छा बना रहता है और हजारों बीघा जमीन की इन कुओं से सिंचाई होती है इस तालाब में पानी न रहने से जल स्तर खत्म हो जाने से फसलें होने से वंचित रह जायेगी। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से विकास अधिकारी माण्डलगढ़ ने सर्वे करा एस्टीमेट बनाकर करीब 12 लाख रूपये के जिलाधीश के माध्यम से राज्य सरकार को भेजे हैं इस तालाब के टूटने का मुख्य कारण रपट का बहुत छोटी होना रहा है जिससे ओवर-फ्लो होकर मिट्टी की पाल बह जाती है इसकी रपट को लम्बा करना विस्तार करना मिट्टी की पाल को ठीक व चौड़ा कराना अत्यावश्यक है जिससे भविष्य में यह तालाब नहीं टूटे, और पेयजल का संकट उत्पन्न न हो।

इसी प्रकार बिजोलिया के पास मण्डोल बांध करीब चार-पांच फुट टूट गया है जिससे बिजोलिया को पेयजल की आपूर्ति होती है हजारों बीघा जीन सिंचित होती है इसके क्षतिग्रस्त होने से पिलाई भी न हो सकेगी और बिजोलियां को पेयजल की आपूर्ति भी न हो सकेगी।

इसी प्रकार डामटी खोखरा बांध भी बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुआ है पानी के तेज बहाव से काफी जमीन नष्ट हो गयी खेत नष्ट हो गये नदी ने अपना बहाव ही बदल दिया बाढ़ से काफी बड़ी-बड़ी चट्टानें नदी में आ गयी है नहरें टूट गई है जिससे इस वर्ष अतिवृष्टि से वर्तमान फसलें तो नष्ट हो गयी है पर आने वाली फसल

भी न हो सकेगी जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी । इसके अलावा अनवासा बांध भी टूट गया है यह बांध प्रतिवर्ष टूट जाता है प्रतिवर्ष इसकी मरम्मत होती है इस वर्ष भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई जिससे हजारों बीघा जमीन तो बरबाद हुई ही है कई मकान भी टूट गये । इसकी नहरें कच्ची बनी हुई है वह ही मिट्टी से भर गई है इसके अलावा सुशीला सागर, नाथजी का खेड़ा बांध, बान्दर मूता पटियाल आदि बांधों में भी नुकसान हुआ है नहरें क्षतिग्रस्त हो गयी है यदि तुरन्त ठीक नहीं कराया गया तो इनसे इस वर्ष सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जायेगा ।

भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक वर्षा मेरे क्षेत्र में हुई है छोटे-मोटे मिलाकर 30-40 बांध तालाब एनिकट टूटे हैं खाचरोल, मानपुरा, फलासिया, गोथरा, तिरोली, लोडियाना आदि कई गांवों में मकान गिर गये हैं लोग बेकार हो गये 1500 रुपये जिनके मकान नष्ट हुए क्षतिपूर्ति के लिए दिये परन्तु वह अपर्याप्त है ।

हजारों मकानों में पानी घुसने से लोगों का अनाज नष्ट हो गया है खेत के खेत साफ हो गये है लडपुरा, डामटी, फल जी की खेडी, सोपुरा चेनपुरिया, नवलपुरा, भगवानपुरा, रामपुरिया, तिलस्वा, छोटी बिजोलिय, कडेदा, मानगढ़ आदि कई गांवों के खेतों में व्यापक नुकसान हुआ है ।

अतः इस सम्बन्ध में जो खेत पूर्ण रूप से नष्ट हो गये हैं उनको अन्यत्र जमीन देने की व्यवस्था कराए जो फसलों का अनाज का नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति दिलाए । इन सब बांधों तालाबों की पुनः मरम्मत की अविलम्ब व्यवस्था कराए और भविष्य में टूटे नहीं इस प्रकार की व्यवस्था कराए ।

भवदीय

बद्रीप्रसाद गुरूजी

वि. स. 90

शोकाभिव्यक्ति

(माननीय अध्यक्ष द्वारा की गयी शोकाभिव्यक्ति)

माननीय सदस्यगण,

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने श्री सुरेन्द्र नाथ, राज्यपाल, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश; श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री, आन्ध्र प्रदेश; श्री राजकुमार जयचन्द्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मणिपुर; श्री राजेश्वर राव, वरिष्ठ वामपंथी नेता तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मांगीलाल, श्री सूरजपाल सिंह, श्री छोगालाल कंवरिया, श्री तुलसीराम, श्री धूणीलाल गुप्ता, श्री रामप्रसाद लड्ढा, श्री हरिकृष्ण, श्री शिवनारायण छाछिया, श्री मोहब्बत सिंह, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, श्री रघुवीर सिंह एवं श्री मालूराम लेघा के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री सुरेन्द्र नाथ का जन्म सन् 1926 में हुआ। आप वर्ष 1950 में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने। आपको अपने बैच का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होने का "स्वोर्ड ऑफ ऑनर" सम्मान से विभूषित किया गया।

भारतीय पुलिस सेवा से सेवा निवृत्त होने के बाद आपने 7 अगस्त, 1991 को पंजाब के राज्यपाल एवं केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के प्रशासक के रूप में पदभार ग्रहण किया। आप पहले ऐसे आई. पी. एस. अधिकारी थे जिन्होंने राज्य प्रशासन के शीर्षस्थ पद पर पहुंचने का गौरव प्राप्त किया। इससे पूर्व आप सितम्बर, 1985 से निर्वाचित सरकार का गठन होने तक पंजाब में राज्यपाल के सलाहकार भी रहे। अपने सेवाकाल के प्रारम्भिक वर्षों में आप पंजाब में ही पदस्थापित रहे थे। नवम्बर, 1993 से आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे।

आपकी दीर्घ एवं विशिष्ट सेवा के कारण एक दक्ष प्रशासक के रूप में विशिष्ट पहचान बन गई थी। पंजाब के राज्यपाल के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान ही लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार कायम हुई। पंजाब में कानून और व्यवस्था बहाल करने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एक लोमहर्षक विमान दुर्घटना में श्री सुरेन्द्र नाथ का 9 जुलाई, 1994 को निधन हो गया।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी का जन्म 28 जुलाई, 1909 को आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले के ग्राम चिरुमामिल्ला में हुआ। आपने बी. ए., बी. एल. की उपाधियां त्रिवेन्द्रम् यूनिवर्सिटी से प्राप्त कीं।

आपने वर्ष 1936 में राजनीति में पदार्पण किया। "भारत छोड़ो" आन्दोलन में भाग लेने पर आपको 4 माह की जेल यात्रा करनी पड़ी। वर्ष 1942 से 45 तक आप नजरबन्द रहे। वर्ष 1954—55 के अलावा आप वर्ष 1946 से 71 तक मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश विधान सभाओं के सदस्य रहे। आप वर्ष 1956 से 64 तक आन्ध्र प्रदेश सरकार के मंत्री तथा वर्ष 1964 से 71 तक मुख्यमंत्री रहे।

श्री रेड्डी वर्ष 1974 में राज्य सभा के सदस्य बने तथा तथा 1974 से 77 की अवधि में आपने केन्द्र में गृह मंत्री, संचार मंत्री एवं कृषि मंत्री के पद का दायित्व निर्वहन भी किया। वर्ष 1972-73 में आप भारत सरकार के छठे वित्त आयोग के चेयरमैन रहे।

आप वर्ष 1977 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे। आपने ब्रिटेन तथा जापान की यात्राएं कीं। अध्ययन एवं राजनीति पर चर्चा करने में आपकी विशेष अभिरुचि थी।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी का 20 मई, 1994 को निधन हो गया।

पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजकुमार जयचन्द्र सिंह का जन्म 28 फरवरी, 1942 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ। आपने रामजस कालेज, दिल्ली, लखनऊ यूनिवर्सिटी तथा गवर्नमेन्ट लॉ कॉलेज, बम्बई से एम. ए., एल एल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जयचन्द्र सिंह अप्रैल, 1981 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 31 दिसम्बर, 1984 से 25 सितम्बर, 1985 तक केन्द्र सरकार में खेल एवं युवा मामलात विभाग के राज्य मंत्री रहे। बाद में आप पेट्रोलियम एवं रसायन विभाग के राज्य मन्त्री रहे। मार्च, 1988 से फरवरी, 1990 तक आप मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे।

आप अनेक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। आप वर्ष 1974—76 में इम्फाल अरबन को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, 1970—72 में मणिपुर बार एसोसियेशन के संयुक्त सचिव तथा मणिपुर यूनिवर्सिटी की सिण्डीकेट के सदस्य भी रहे। उन्नत और आधुनिक मणिपुर के निर्माण के लिए आप सतत् प्रयत्नशील रहे।

श्री राजकुमार जयचन्द्र सिंह का 12 जून, 1994 को रात्रि में निधन हो गया।

वामपंथी नेता श्री चन्द्र राजेश्वर राव का जन्म 6 जून, 1914 को आन्ध्रप्रदेश के कृष्णा जिले के मंगलापुरम् गांव के एक किसान परिवार में हुआ।

आचार-विचार से सच्चे कम्युनिस्ट श्री राव अपनी समूची जायदाद पार्टी को सौंपकर 17 वर्ष की आयु में ही प्रतिबद्ध कार्यकर्ता बन गये। वर्ष 1964 में पार्टी के विभाजन के बाद आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। वर्ष 1992 में अपने स्वास्थ्य के कारण आपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

श्री राव भारतीय रेल मजदूर यूनियन के संस्थापकों में से एक थे। आपने जमीदारों और भूपतियों के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष चलाने के लिए अनेक भूमि दखल आन्दोलनों का नेतृत्व बड़ी कुशलता से किया।

जुझार व्यक्तित्व के धनी श्री राव राष्ट्रीय सम्प्रभुता और अखण्डता के प्रबल समर्थक थे। आजादी से पहले और आजादी के बाद किसानों को संगठित करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजदूर वर्ग के हितों के हिमायती श्री राव जीवन-पर्यन्त मजदूरों के उत्थान और उनकी बेहतरी के लिए संघर्षरत रहे।

लोकतन्त्र एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए लड़ने वाले कम्युनिस्ट नेता को लेनिन सम्मान के अलावा सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी एवं चकोस्लोवाकिया के जनमैत्री सम्मान, बुल्गारिया के जेरोरगी दुत्रोव सम्मान और मंगोलिया के सुर्ख बतौर सम्मान सहित कई पुरस्कारों और अलंकरणों से विभूषित किया गया था।

श्री राजेश्वर राव का 9 अप्रेल, 1994 को निधन हो गया।

श्री मांगीलाल का जन्म 26 जनवरी, 1938 को हुआ। आपने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम राशमी में ग्रहण की।

आप चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए दो बार निर्वाचित हुए। छठी विधान सभा (1977-80) तथा नवीं विधान सभा (1990-92) में आप क्रमश: जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। नवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त आप सहकारिता एवं समाज कल्याण विभागों की संसदीय परामर्श-दात्री समिति के भी सदस्य रहे।

समाज सेवा एवं पार्टी संगठन में आपकी विशेष अभिरुचि रही। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज कल्याण समिति के सदस्य भी रहे।

श्री मांगीलाल का 12 जून, 1994 को निधन हो गया।

पूर्व मंत्री श्री सूरजपाल सिंह का जन्म 9 जुलाई, 1938 को जालोर जिले के दासपा ग्राम में हुआ। आपने एस. एम. के इण्टर कॉलेज से इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की।

आप छठी, सातवीं और आठवीं राजस्थान विधान सभा के लिए क्रमश: वर्ष 1977, 1980 और 1985 में जालोर जिले के भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आठवीं एवं नवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1983 से 1987 तक प्राक्कलन समिति (क) के सभापति रहे। फरवरी, 1988 से दिसम्बर, 1989 तक आप राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री रहे। राज्यमंत्री के रूप में आपने पशुपालन एवं दुग्ध विकास, कृषि, बाढ़ एवं अकाल सहायता तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दायित्वों का निर्वहन किया।

श्री सूरजपाल सिंह मृदुभाषी, मिलनसार और सादगी पसन्द व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। कृषि का उन्नत रूप विकसित करने के लिए आप किसानों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देते रहे। फुटबाल, क्रिकेट और वेट लिफ्टिंग में भी आपकी रुचि रही।

श्री सूरजपाल सिंह का लम्बी बीमारी के बाद 30 अगस्त, 1994 को निधन हो गया।

राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री छोगालाल कंवरिया का जन्म 12 अप्रैल, 1922 को ब्यावर में हुआ। आपने बी.एस.सी., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त करने के बाद वर्ष 1952 में राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। प्रशासनिक सेवा के दौरान आप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, विकास अधिकारी, उपनिदेशक, स्वायत्त शासन तथा समाज कल्याण, उप विकास आयुक्त, सैटलमेन्ट ऑफीसर तथा उप आयुक्त, वाणिज्य कर के पद पर रहे। वर्ष 1977 में आप स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति प्राप्त कर कांग्रेस (आई) के सक्रिय सदस्य बन गये।

सातवीं विधानसभा (1980–85) के लिए आप दूदू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी के रूप में विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप राजकीय उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति तथा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप 19 जुलाई, 1981 से 16 अक्टूबर, 1982 तक राजस्थान सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे।

आप राजस्थान में दलित वर्ग के उत्थान हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहे। आप राजस्थान दलित वर्ग संघ के महामंत्री तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के सदस्य भी रहे। बैडमिन्टन एवं टेनिस में भी आपकी रुचि रही।

श्री छोगालाल कंवरिया का 23 जुलाई, 1994 को रात्रि में निधन हो गया।

श्री तुलसी राम सातवीं विधान सभा (1980–85) के लिए अजमेर जिले के केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। आपने आठवीं कक्षा तक की शिक्षा किशनगढ़ से प्राप्त की।

विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप 1980 से 84 तक अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। आप वन, भेड़ व ऊन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

समाज सेवा में आपकी विशेष रुचि रही। आप खटीक समाज के अध्यक्ष रहे तथा समाज के उत्थान हेतु सदा प्रयत्नशील रहे।

श्री तुलसीराम का 30 मई, 1994 को निधन हो गया।

श्री धूणीलाल गुप्ता का जन्म सन् 1931 में अलवर जिले की तहसील थानागाजी के ग्राम मालूताना में हुआ। आपने आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की।

आप सातवीं विधान सभा के लिए मई, 1984 में हुए उप चुनाव में थानागाजी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधायक के रूप में निर्वाचित होने से पूर्व आप वर्ष 1961 से 80 तक ग्राम पंचायत मालूताना के सरपंच तथा वर्ष 1980 से 84 तक थानागाजी पंचायत समिति के प्रधान रहे।

आपने स्वतंत्रता आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कांग्रेस द्वारा संचालित सत्याग्रह के दौरान आप वर्ष 1978 में जेल भी गये। आप अन्याय के प्रबल विरोधी थे। क्षेत्रीय विकास तथा गरीबोत्थान के लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहे। तैराकी में आपकी विशेष अभिरुचि थी।

श्री धूणीलाल गुप्ता का 8 मई, 1994 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री रामप्रसाद लड्ढा का जन्म 14 जनवरी, 1936 को हुआ। आपने बी. कॉम. एल एल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

आप वर्ष 1977 में छठी राजस्थान विधान सभा के लिए जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मांडल निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। अपने छात्र जीवन से ही आप राजनीति में सक्रिय हो गये थे। आप मांडल की आदर्श शिक्षा समिति तथा ग्राम विकास संघ के सदस्य व उपाध्यक्ष रहे। आप सन् 1964 से ब्लाक स्तर पर अध्यक्ष एवं मंत्री तथा वर्ष 1973-74 में जिला जनसंघ के मंत्री रहे। आपने बंगला देश की मान्यता के लिए सत्याग्रह किया तथा गडरा रोड आन्दोलन एव चक्का जाम आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गये। आपातकाल के दौरान वर्ष 1975 में सत्याग्रह करने पर भी आपको जेल यात्रा करनी पड़ी।

समाज सेवा के प्रति भी आप सदा समर्पित भाव से कार्य करते रहे। आपने मांडल में हायर सैकण्डरी स्कूल खुलवाने, अकाल राहत कार्य शुरू करवाने, लोगों को रोजगार दिलाने तथा किसानों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा का लम्बी बीमारी के बाद 16 अप्रेल, 1994 को निधन हो गया।

श्री हरिकृष्ण का जन्म 8 नवम्बर, 1919 को भरतपुर जिले के ग्राम बरौलीछार में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री हरिकृष्ण छठी विधान सभा (1977–80) के लिए नदबई निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधायक चुने जाने से पूर्व आप वर्ष 1936 से 1950 तक कस्टम विभाग में कार्यरत रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आप ग्राम पंचायत के सरपंच, न्याय पंचायत के चैयरमेन, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष तथा मार्केटिंग सोसाइटी व भूमि विकास को-आपरेटिव बैंक एवं कृषि उपज मण्डी के संचालक रहे।

श्री हरिकृष्ण का दिनांक 4 मई, 1994 को निधन हो गया।

श्री शिवनारायण छाछिया का जन्म 22 नवम्बर, 1922 को झुंझुनुं जिले के धाखेड़ा ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की।

तीसरी राजस्थान विधान सभा (1962–67) में आप सूरजगढ़ क्षेत्र से स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य रहे। समाज कल्याण के लिए आप सदा जागरूक रहे। पिछड़े हुए क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यों के लिए भी आप सदैव सक्रिय रहे। विधान सभा में भी आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान एवं विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

हिन्दी साहित्य और फोटोग्राफी में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री शिवनारायण छाछिया का दिनांक 20 जुलाई, 1994 को निधन हो गया।

श्री मोहब्बत सिंह का जन्म जालौर जिले की जसवन्तपुरा तहसील के ग्राम कालापुरा में 29 दिसम्बर, 1923 को हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा सिरोही में हुई। आप ए. डी पी. कॉलेज, ब्यावर तथा मेयो कॉलेज, अजमेर के भी छात्र रहे। आपने वर्ष 1947 में आगरा विश्वविद्यालय में बी.ए. की उपाधि ग्रहण की।

आपने पहली एवं दूसरी विधान सभा में सिरोही जिले का प्रतिनिधित्व किया। पहली विधान सभा (1952-57) के लिए आप भावरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी तथा दूसरी विधान सभा (1957-62) के लिए आप सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। प्रथम विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप संयुक्त दल की प्रथम कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। दूसरी विधान सभा में आप वर्ष 1957-58 में प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

समाज सुधार आपका प्रिय कार्य रहा। आपने राजपूत जागीरदारों में प्रचलित टीका प्रथा का विरोध किया। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। आप वर्ष 1946 से 1954 तक सिरोही राजपूत सभा के महासचिव तथा वर्ष 1949 से 1953 तक राजस्थान क्षेत्रीय महासभा की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे।

श्री मोहब्बतसिंह का 8 अप्रेल, 1994 को निधन हो गया।

राजस्थान के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी, मूर्धन्य पत्रकार और पूर्व मंत्री श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी जो श्री युगल किशोर चतुर्वेदी के नाम से भी जाने जाते थे, का जन्म 14 अक्टूबर, 1904 को उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के ग्राम सौंख में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर में हुई। आपने महाराजा कॉलेज, जयपुर एवं पंजाब विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा हिन्दी प्रभाकर की उपाधियां ग्रहण कीं।

आप दूसरी राजस्थान विधान सभा (1957-62) में डीग निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सभापति रहे। इससे पूर्व आप संयुक्त मत्स्य संघ राज्य में मार्च, 1948 से मई, 1949 तक शिक्षा मंत्री तथा मई, 1951 से मार्च, 1952 तक राजस्थान की अन्तरिम सरकार में सार्वजनिक निर्माण मंत्री रहे।

आप छात्र जीवन में ही स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़ गये और वर्ष 1930 में हुए सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। वर्ष 1939 से 1947 तक भरतपुर राज्य प्रजा परिषद द्वारा चलाये गये आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर आपने तीन बार जेल यात्राएं कीं।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे। वर्ष 1935 से 39 तक आप नागरी प्रचारिणी सभा के मंत्री तथा 1940 से 42 तक नगरपालिका, भरतपुर के सदस्य रहे। अगस्त, 1949 से मई, 1951 तक आप तत्कालीन राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के तथा अप्रेल, 1952 से अगस्त, 1956 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधानमंत्री रहे।

पत्रकारिता, सामाजिक एवं धार्मिक साहित्य का अध्ययन तथा रचनात्मक कार्यों में आपकी विशेष अभिरुचि रही। आप चार वर्ष दैनिक "राष्ट्रदूत" के प्रधान सम्पादक रहे तथा आपने "लोक शिक्षक" पाक्षिक, "जागृति" मासिक तथा "नवयुग

संदेश", साप्ताहिक का भी सम्पादन किया। आपकी "मथुरा महिमा", इतिहास प्रश्नोत्तरी,' "बुद्धदेव", 'धार्मिक जीवन' आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं।

श्री चतुर्वेदी का 23 जून, 1994 को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया।

श्री रघुवीर सिंह जावली का जन्म अलवर जिले के जावली ग्राम में 23 अक्टूबर, 1902 को हुआ। आपने बी. ए की उपाधि प्राप्त की। आपकी शिक्षा मेयो कालेज, अजमेर, बलवन्त राजपूत हाई स्कूल, आगरा तथा आगरा कालेज में हुई।

आप दूसरी राजस्थान विधान सभा (1957-62) के लिए राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राम राज्य परिषद् के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता से पूर्व आप सन् 1933 में पंजाब राज्य से असिस्टेंट कमिश्नर की ट्रेनिंग लेने के बाद अलवर राज्य में कलक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। वर्ष 1939 में आप अलवर रियासत के विकास मंत्री तथा वर्ष 1941 में गृह मंत्री बने।

अलवर विलय के पश्चात् आप राजनीति में आये और 1950 में राम राज्य परिषद् के नेतृत्व में हिन्दू कोड बिल एवं गौ हत्या विरोधी आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही के रूप में भाग लिया। 1955 के भूस्वामी आन्दोलनों के दौरान आप दो बार बन्दी बनाये गये तथा टोंक व जयपुर की कारागार में रहे। आप अनेक राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। आपकी ईश्वर आराधना में विशेष अभिरुचि रही।

श्री रघुवीर सिंह जावली का निधन 25 अप्रेल, 1994 को हो गया।

श्री मालूराम लेधा का जन्म 2 जनवरी, 1930 को हुआ। आप वर्ष 1980 में सातवीं विधान सभा के लिए लूणकरणसर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक निर्वाचित हुए।

विधान सभा में आप गृह समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1981 में आप राजस्थान भूमि विकास बैंक, बीकानेर के अध्यक्ष, वर्ष 1982 में व्यावसायिक मार्ग दर्शन समन्वय समिति के सदस्य तथा वर्ष 1983 में भू-आवंटन (उपनिवेशन क्षेत्र) सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप खाद्य एवं आपूर्ति, गृह रक्षा दल व नागरिक सुरक्षा, देवस्थान विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

श्री लेधा वर्ष 1953 से 59 तक तहसील पंचायत के सरपंच तथा 1965 से 77 तक ग्राम पंचायत मोटासर के सरपंच रहे। वर्ष 1965 से 77 तक आप लूणकरणसर पंचायत समिति के उप प्रधान रहे। आप जिला बोर्ड के सदस्य तथा ब्लाक कांग्रेस (आई) लूणकरणसर के अध्यक्ष भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कार्य करते रहे। सामाजिक कुप्रथाओं तथा कृषि समस्याओं पर आपके अनेक लेख भी प्रकाशित हुए हैं।

श्री मालूराम लेघा का 9 अगस्त, 1994 को निधन हो गया।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवारजन को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे।

———

26

शुद्धि-पत्र

क.सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	5	9	वल	वैल
2.	25	31	हरजीराम बुरडक	श्री हरजीराम बुरडक

परिशिष्ट

(सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित/अतारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

पेयजल संकट के निराकरण हेतु व्यवस्था

1. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) बीसलपुर योजना में अब तक क्या-क्या तब्दीली की गयी और उसका आर्थिक पहलू क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर के पेयजल संकट निराकरण के लिए अन्य कोई योजना सरकार ने बनाई है? यदि हां, तो क्या?

(3) बीसलपुर योजना का पानी अजमेर जिले को कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

(4) क्या किशनगढ़ शहर के पेयजल संकट के निराकरण के लिए सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ इत्यादि शहरों हेतु बीसलपुर पेयजल परियोजना में प्रथम स्वीकृति के पश्चात् किये गये परिवर्तनों का विवरण "क" पर संलग्न है।

(2) जयपुर नगर की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु बीसलपुर बांध से जल आपूर्ति की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु योजना का एक प्रारंभिक प्रारूप बनाया गया है जिसकी प्रथम चरण की अनुमानित राशि लगभग 612.00 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त ईसरदा से भी पानी लाने के लिए योजना बनाई गयी है। परन्तु यह बीसलपुर योजना की मात्रा में आंशिक वृद्धि करेगी जयपुर की आवश्यकताओं को देखते हुए अकेली ईसरदा योजना पर्याप्त नहीं होगी।

(3) वर्तमान में बीसलपुर बांध से अजमेर ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी तथा सरवाड़ शहरों को ही पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना का कार्य प्रगति में है। वर्तमान स्थिति के अनुसार इन शहरों को इस योजना से इसी वर्ष के अन्त तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। अजमेर जिले के पेयजल समस्या से ग्रस्त 94 ग्रामों हेतु 20.48 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गई है जिसको तकनीकी स्वीकृत की गई है जिसकी तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य आरंभ होना शेष है। जिले के शेष समस्याग्रस्त ग्रामों हेतु योजनाओं के प्रस्ताव इत्यादि बनाये जा रहे हैं।

(4) किशनगढ़ शहर की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु बीसलपुर बांध से योजना का कार्य प्रगति में है। जिसके अन्तर्गत किशनगढ़ शहर को लगभग 31 लाख गैलन पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजनानुसार नसीराबाद से किशनगढ़ तक 600, 500 एवं 450 मिलिमीटर व्यास की लगभग 35 किलोमीटर पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है। योजना में स्वच्छ जलाशय, पम्पगृह एवं 5 उच्च जलाशयों के निर्माण के साथ-साथ वितरण व्यवस्था में भी सुधार प्रस्तावित है।

(८)

विवरण

(1) प्रथम स्वीकृति के समय बनाई गयी योजना प्रारम्भिक स्वरूप में थी। इसकी स्वीकृति के पश्चात् इसमें नसीराबाद, माखुपुरा, थाडोली में जलाशयों के निर्माण के प्रावधान सम्मिलित किये गये। इसके अतिरिक्त अजमेर, केकड़ी, किशनगढ़ व ब्यावर शहरों में वितरण प्रणाली के सुधार हेतु अधिक प्रावधान भी बाद में सम्मिलित किये गये। मुख्य राइजिंग मेन डालने हेतु ग्रामों के बाइपास हेतु भू-अधिग्रहण एवं सड़क निर्माण इत्यादि भी आवश्यक हुए जिन्हें सम्मिलित किया गया।

ब्यावर शहर में स्थानीय स्त्रोतों से पेयजल उपलब्धता में निरन्तर कमी को देखते हुए पूर्व में स्थानीय पेयंजल उपलब्धता के प्रावधान को हटाया जाकर अब इस माँग का प्रबन्ध भी बीसलपुर से किये जाने हेतु जुलाई, 1994 में एक अन्य प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी है।

(2) प्रथम स्वीकृति के अन्तर्गत योजना की राशि 64.37 करोड़ रुपये थी जिसमें कुछ नये प्रावधान सम्मिलित किये जाने, योजना की विस्तृत अभियांत्रिकी के फलस्वरूप तथा मूल्य वृद्धि इत्यादि कारणों से कुल अनुमानित राशि बढ़कर 153.00 करोड़ रुपये हो गई जिसकी संशोधित स्वीकृति वर्ष 1993 में की गई। पैरा एक में उल्लेखित ब्यावर शहर हेतु अतिरिक्त पेयजल मात्रा का प्रावधान किये जाने के कारण 736.00 लाख रुपये की राशि की अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गयी है।

जिला सीकर में फव्वारा यंत्रों पर अनुदान की राशि में व्याप्त भ्रष्टाचार प्रकरण

2. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में फव्वारा यंत्रों पर दी जाने वाली अनुदान की राशि के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की जाकर कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ?

(2) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार की अनियमिततायें पाई गयी तथा कौन-कौनसी फव्वारा यंत्र बेचने वाली फर्में एवं बैंकों व विभाग के अधिकारी इसमें लिप्त पाये गये ?

(3) इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद भी इस प्रकरण की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या अन्य किसी पुलिस एजेन्सी से जाँच नहीं करवाये जाने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) बैंक ऋण की पुरानी फव्वारा सैट पत्रावलियों को नकद क्रय की पत्रावलियां बताकर अनुदान स्वीकृत किया गया था। इसमें फव्वारा सैट बेचने वाली फर्मे लिप्त पाई गयी जिनके नाम एवं पते परिशिष्ट "अ" पर अंकित हैं। बैंकों को इस घोटाले में लिप्त नहीं पाया गया है। विभाग के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को लिप्त पाया गया, उनके नाम संलग्न परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(3) इस प्रकरण में लिप्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है एवं 11 दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है एवं उनके विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्रकरण प्रेषित किया जा चुका है।

परिशिष्ट-अ

फव्वारा सिंचाई अनुदान में दुरुपयोग में लिप्त फव्वारा बेचने वाले फर्मों की सूची

(1) बिजारणिया सेल्स कारपोरेशन, पलसाना।
(2) जगदम्बा इलेक्ट्रिक एवं मशीनरी स्टोर, नीम का थाना।
(3) किसान इलेक्ट्रिकल्स, पलसाना।
(4) एस.के.इन्टरप्राइजेज, सरगोट।
(5) पवन ट्रेडर्स, रींगस।
(6) इण्डिया ट्रेडिंग कारपोरेशन, श्रीमाधोपुर।
(7) मरुधर एजेन्सी, पलसाना।
(8) चौधरी ट्रेडर्स, पलसाना।
(9) भारत इण्टरप्राइजेज, कटराथल।
(10) भारत मशीनरी स्टोर, रींगस।
(11) सेठी इर्रिगेशन सेन्टर, रानोली।
(12) किसान ट्रेडर्स, खाटू श्याम जी।
(13) भाजिया मशीनरी स्टोर्स, संतोषपुरा, रींगस।
(14) भगेरिया ब्रादर्स, रींगस।
(15) नेहरा ब्रादर्स, खाटू श्यामजी।

परिशिष्ट-ब

फव्वारा सिंचाई उपकरणों के वितरण में हुई अनियमितताओं के क्रम में लिप्त पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. श्री जगदीश सिंह, कृषि अधिकारी
2. श्री दिलीप सिंह, कृषि अधिकारी
3. श्री परमेश्वर स्वरूप सक्सैना, कृषि अधिकारी
4. श्री विजेन्द्र सिंह, सहायक कृषि अधिकारी
5. श्री हरफूल मेहरा, सहायक कृषि अधिकारी
6. श्री शीश राम, कृषि पर्यवेक्षक
7. श्री गम्भीर सिंह, कृषि पर्यवेक्षक
8. श्री के.बी. सक्सैना, सहायक निदेशक कृषि
9. श्री महावीर सिंह, उप निदेशक कृषि
10. श्री नानग राम सैनी, सहायक कृषि अधिकारी
11. श्री डी.पी.कुलश्रेष्ठ, सहायक निदेशक कृषि

Page No. 30

(५)

कंवरसेन लिफ्ट नहर के पम्पिग स्टेशनों पर मशीनों की खरीद प्रकरण

3. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कंवरसेन लिफ्ट नहर पर माह जनवरी से अगस्त, 1994 के दौरान कब-कब, कितने समय के लिए विद्युत आपूर्ति में व्यवधान पैदा हुआ ?

(2) विद्युत व्यवधान के तत्काल निराकरण हेतु क्या स्थायी व्यवस्था की हुई है ?

(3) उक्त नहर के विभिन्न पम्पिग स्टेशनों की पानी उठाने की मशीनें कब-कब खरीदी गयी ? क्या उक्त मशीनें पुरानी होने के कारण अपनी क्षमता अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इनको बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कंवरसेन लिफ्ट नहर के चारों पम्पिग स्टेशनों पर माह जनवरी से माह अगस्त, 1994 तक औसतन 11.28 घण्टे से 27 घण्टे प्रति माह विद्युत व्यवधान एवं कम वोल्टेज रहा। पावर फेल एवं कम वोल्टेज की महावार सूचना संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाइ गयी है।

(2) इस सम्बन्ध में मार्च, 1994 में अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने एक बैठक ली थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल लिफ्ट नहर के साथ अलग से उच्च वोल्टेज क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण करेगा। तथा पुरानी लाइनों की क्षमता में वृद्धि करेगा एवं जो 33 के.वी.डबल सर्केट लाइने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के खर्चे से बनाई गयी है उसमें से धीरे-धीरे विभिन्न चरणों में दूसरा लोड हटायेगा। इस सम्बन्ध में बैठक में जो निर्णय लिये गये थे उनमें से कुछ की पालना राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के द्वारा की जा रही है तथा बाकी करनी शेष है।

(3) कंवरसेन लिफ्ट नहर के पम्पिग स्टेशनों के लिए मशीन पम्प एवं मोटरें वर्ष 1974-75 में खरीदी गयी थी एवं 1975-76 व 1976-77 में लगाई। ये सभी पुरानी होने के कारण अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है। पुरानी मशीनों के बदलने के सम्बन्ध में वित्तीय साधनों के अनुसार आदेश दिये जा चुके हैं एवं प्राप्त होने पर लगाई जा सकेगी।

प्रपत्र "अ"

LIST OF POWER FALL & LOW VOLTAGE FROM MONTH OF JANUARY, 94 TO AUGUST, 94 ON K.S. LIFT CANAL

	P.S. I Rajiasar		P.S. IImalkisa		P.S. III Khara		P.S. IV Husansar		Remarks
	Power Fail	Low Voltage	Power Fainl	Low Voltage	Power Fail	Low Voltage	Power Fail	Low Voltage	
1/94	15	1-36	8-12	14-10	15-55	28-30	15-57	4-47	
2/94	2-10	2-05	9-45	18-23	9-42	35-46	9-37	0-57	
3/94	1-33	7-40	2-21	18-13	14-35	14-45	14-18	13-23	
4/94	6-05	2-10	10-35	1-15	20-50	–	21-02	–	
5/94	8-04	1-00	7-35	8-05	16-00	8-20	15-38	2-15	
6/94	5-50	0-37	8-25	8-45	18-53	1-10	16-54	0-04	
7/94	1-50	1-55	2-42	0-50	14-47	–	14-41	–	
8/94	23-57	14-29	5-41	4-57	16-30	0-35	13-52	15-27	
Total :	90-16		129-54		216-18		168-52		
Average Per Month	11-28		16-13		27-00		21-0		

Page No. 32

(6)

लूम रहित बुनकरों की चयन प्रकिया

4. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि लूम रहित बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र, नागौर द्वारा दिनांक 13-10-1993 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति जायल को निर्धारित प्रक्रिया से चयनित व्यक्तियों की सूची भेजी थी ? यदि हाँ, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना के तहत वर्ष 1993-94 में किन-किन व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभान्वित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उद्योग विभाग और विशिष्ठ योजना संगठन विभाग को इस योजना को लागू करने के लिए जारी किये गये आदेशों व निर्देशों की पालना किस सीमा तक हुई ? आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज रखें।

(4) इस सम्बन्ध में क्या-क्या अनियमिततायें किस-किस स्तर पर हुई और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हाँ, जिला उद्योग केन्द्र, नागौर द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति-जायल को 13.10.93 को प्रेषित हाथकर्घा बुनकरों की सूची संलग्न है।

(2) पंचायत समिति जायल में वर्ष 93-94 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 500 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध चयनित बुनकरों को भी लाभान्वित किया जा सकता है। इस लक्ष्य के विपरीत 514 चयनित परिवारों को वर्ष 93-94 में लाभान्वित करवाया गया इसके अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना में 30 बुनकरों को आवास स्वीकृत किये गये।

(3) विशिष्ट योजना संगठन एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी निर्देशों की प्रतियाँ संलग्न है। इन निर्देशों की पालना में वर्ष 93-94 में राज्य स्तर पर बुनकरों को निम्न प्रकार लाभान्वित किया गया : —

कार्य का नाम	प्राप्त सूचनाओं के अनुसार लाभान्वितों की संख्या
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	312
ट्राइसेम योजना	376
इंदिरा आवास योजना	1031

(4) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर/विशिष्ट योजना संगठन/उद्योग निदेशालय को इस योजना अन्तर्गत किसी प्रकार की अनियमिततायें होने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(सूचियां एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

5. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री जुबेर खान)

(1) राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में विभिन्न स्तर के राजकीय विद्यालयों में कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त चारों जिलों के विभिन्न राजकीय विद्यालयों से अन्य जिलों में अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) स्थानान्तरित अध्यापकों में से ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनका 2 वर्ष का कार्य काल पूर्ण होने से पहले ही इन जिलों से स्थानान्तरण कर दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त स्थानान्तरण नीति के नियमानुसार हैं?

उत्तर

(1) बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले के विभिन्न स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार से हैं :

जिले का नाम	संवर्गवार रिक्त पद					
	प्रधानाचार्य	उप प्रधानाचार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	व. अध्यापक	
बाड़मेर	04	18	30	11	103	112
जैसलमेर	–	05	11	42	22	22
बांसवाड़ा	02	20	08	129	53	20
डूंगरपुर	–	14	08	101	16	27

(2) जी, हाँ।

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, हाँ। मात्र 32 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी, हाँ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रस्तावित नयी पर्यटन नीति

6. **श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसीन्द) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नई पर्यटन नीति की कब तक घोषणा होने की संभावना है? उसमें क्या प्रमुख विशेष विशेषताएँ प्रस्तावित हैं?

(2) क्या इस नई पर्यटन नीति के अन्तर्गत हैरीटेज होटल्स के लिए कोई विशेष रियायतें दी गयी हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सन्दर्भ में नजूल सम्पत्ति भी हैरीटेज होटल्स के अन्तर्गत प्राइवेट पार्टी को देने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो किन शर्तों पर एवं किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नई पर्यटन नीति के अन्तर्गत नई प्रस्तावित होटल तथा हैरीटेज होटल के लिए कितनी अनुदान राशि रखी गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की नई पर्यटन नीति विचाराधीन है। इसके प्रस्तावित पहलू निम्न हैं :—

(पर्यटन राज्य मंत्री)

1. पर्यटन से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाओं में सुधार जैसे कि यातायात, सड़क, आवास इत्यादि।

2. राज्य के पर्यटन विकास में राज्य की भूमिका मुख्यतः उत्प्रेरक की रहेगी।

3. निजी क्षेत्र में पर्यटन कार्यों एवं पर्यटन से सम्बन्धित परियोजनाओं को प्राथमिकता एवं सुविधाऐं प्रदान की जायेगी।

4. पर्यटन सर्किट का समयबद्ध एवं एकीकृत दृष्टि से पर्यटन विकास किये जायेंगे।

5. पर्यटन के माध्यम से राज्य की समृद्ध हस्त शिल्प एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

6. राज्य की समृद्ध, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को बनाये रखने के प्रयास किये जायेंगे।

7. राज्य में पर्यटन को आम जनता के उद्योग के रूप में स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे।

8. पर्यटन से विपरीत प्रभावों को नियंत्रित करना।

(2) नयी पर्यटन नीति के तहत हैरीटेज होटल के लिये केपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी के तहत अनुदान की व्यवस्था है तथा अन्य रियायतें भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाऐगी। स्कीम की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी है।

(3) राज्य की नजूल सम्पत्तियों को जिनमें कि पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की सम्भावना है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम को स्थानान्तरित की जायेगी तथा पर्यटन निगम खुली निविदाओं के आधार पर प्राइवेट पार्टी जो कि होटल चलाने का अनुभव रखती हैं, उनके साथ मिलकर संयुक्त क्षेत्र में उनका प्रबन्ध एवं संचालन करेंगे ऐसा प्रस्तावित है। अन्य शर्तों का प्रारूप अभी विचाराधीन है।

(4) वर्ष 1994-95 के बजट में पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों तथा हेरीटेज होटल्स के लिये 1.50 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है, जिसका वितरण स्टेट केपिटंल इंवेस्टमेंट सब्सिडी फोर टूरिज़्म एक्ट, 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

मंद बुद्धि महिलाओं व बच्चों के पुनर्वास केन्द्र

7. **श्री राम स्वरूप मीणा** (टोड़ाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सरकार के अधीन चलने वाले मंद बुद्धि महिलाओं व बच्चों के कितने पुनर्वास केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त केन्द्रों पर गत चार वर्षों में सामुहिक बलात्कार व वैश्यावृत्ति की घटनायें हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी घटनाओं की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर की मंद बुद्धि महिला केन्द्रों में वर्ष 1993-94 में ऐसी कितनी घटनायें घटित हुई? इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

Page No. 35

उत्तर

(1) राज्य में सरकार के अधीन मंद बुद्धि महिलाओं एवं बच्चों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा एक मात्र मानसिक विमन्दित महिला एवं बालक कल्याण पुर्नवास गृह समाज कल्याण विभाग, सेठी कालोनी, जयपुर में संचालित है।

(2) मानसिक विमन्दित महिला एवं बालक कल्याण पुर्नवास सेठी कालोनी, जयपुर में गत चार वर्ष में केवल 27 जुलाई, 94 को बलात्कार की 2 घटनाएं घटित होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाना जवाहरनगर, जयपुर में क्रमश : जयलक्ष्मी उर्फ सुरैया के लिये 5-8-94 तथा बीबी के लिये 22-3-94 को दर्ज करवाई जा चुकी है। प्रश्न में वर्णित अन्य कोई घटना घटित नहीं हुई है।

(3) जयपुर शहर में स्थित केन्द्र मानसिक विमन्दित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, समाज कल्याण विभाग, सेठी कालोनी, जयपुर में वर्ष 93-94 में कोई घटना घटित होने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। 27 जुलाई, 94 को 2 आवासनियों जयलक्ष्मी उर्फ सुरैया व बीबी के साथ बलात्कार होने की सूचना प्राप्त हुई है। इन पर सरकार द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है :—

1. विभाग द्वारा तुरन्त प्रशासनिक कमेटी गठित कर विस्तृत जांच करवाई गयी।

2. लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन अधीक्षक तथा 4 एन.एन.एम. को निलम्बित कर अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मुख्य आरोपी सफाई कर्मचारी एवं 2 महिला सहयोगी अंशकालीन परिचारिकाओं की सेवायें समाप्त कर पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी गयी है। इन तीनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पाइप खरीद मामलों में काली सूची में दर्ज फर्में

8.**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाइप खरीद के मामले में कतिपय फर्मों को काली सूची में दर्ज किया गया हैं ? यदि हां, तो क्यों ? फर्मवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फर्मों से पाइप क्रय किये गये हैं ? यदि हां, तो किसके आदेश से, कब कब, कितनी कितनी राशि के किस-किस कार्य के लिए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों की अवधि में ए. सी. प्रेशर अथवा पी. वी. सी. पाइपों के क्रय के संबंध में किसी फर्म को काली सूची में दर्ज नहीं किया गया परंतु 6 फर्मों को व्यापार करने पर प्रतिबंधित (डिबार्ड फ्राम बिजनेस) किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये।

वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) मैं. स्वास्तिक इण्डस्ट्रीज, पूना द्वारा न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप फर्म से व्यापार करने पर प्रतिबंध संबंधी आदेश निष्प्रभावी रहे। तत्पश्चात फर्म द्वारा पूर्व की दरों पर बकाया सामान की आपूर्ति किये जाने की सहमति दिये जाने पर क्रय आदेश दिये जा रहे

(10)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

हैं। उपरोक्त अवधि में ही फर्म द्वारा अन्य, दर, संविदाओं के विरुद्ध संतोषप्रद सप्लाई किये जाने के कारण भी फर्म को क्रयादेश दिये गये। शेष पांच फर्मों ने व्यापार करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की अतः उनसे कोई पाइप नहीं खरीदे गये।

विवरण

(1) मै. कोणार्क सिमेंट एवं एस्बोस्टोस पाइप्स भुवनेश्वर, मैं. जैन पीवीसी प्रोडेक्ट साण्डवा, मैं. आर.बी.पाइप्स प्रोफाइल्स प्रा.लि. मैं. कंचन पाइप्स (प्रा) लि., पूना, मै. जैन ट्यूब क.ली. नई दिल्ली के विरुद्ध 3 वर्ष की अवधि के लिए आगामी व्यापार नहीं करने के आदेश जारी किये गये।

(2) आदेश क्रमांक एच/जी-III (89 जी.एस/26223-373) दिनांक 29.9.89 के द्वारा मैं स्वास्तिक इण्डस्ट्रीज पूना को आगामी व्यापार नहीं करने के आदेश किये गये थे। इसका कारण यह था कि फर्म ने बीकानेर एवं जोधपुर में विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी क्रय आदेश के अनुरूप प्रेशर पाइपो की आपूर्ति पूर्ण नहीं की।

फसल बीमा योजना

9. श्री गोविन्द सिंह गूर्जर (नसीराबाद) एवं **श्री अमराराम** (धोद) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में फसल बीमा योजना कभी लागू की गयी थी यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह योजना समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार फसल बीमा योजना पुनः लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक किये गए प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान में फसल बीमा योजना वर्ष 1985-86 (रबी) से लागू की गयी। विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार संलग्न है।

(2) जी, हां। यह योजना खरीफ 86 के पश्चात् बन्द कर दी गयी थी, क्योंकि राज्य सरकार इस योजना का वित्तीय भार वहन करने की स्थिति में नहीं थी।

(3) राज्य सरकार के समक्ष फसल बीमा योजना राज्य के एक जिले में पाइलेट बेसिस पर प्रारम्भ करने के बाबत भारत सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके बाबत भारत सरकार से कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया गया है। स्थिति स्पष्ट होने पर इस बाबत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

विवरण

The Comprehensive Crop Insurance Scheme has been implemented in Rajasthan from the Rabi 1985-86 season. The salient features of the scheme are as under :

1. Crops to be covered :

A-Wheat, Gram, Mustard in Rabi and

B-Bajra, Jowar & Maize in Kharif.

2. Farmers to be covered :

All farmers availing of crop loans from cooperative credit Institutions, Commercial Banks and Regional Rural Banks will be compulsorily covered under this scheme.

3. Sum Insured :

The sum insured will be 150% of the crop loan taken by the farmer on the prticular crop.

4. Premium :

The premium charges are 2% of the sum insured for Wheat, Bajra, Jowar and Maize crops and 1% for Gram, Mustard (Oil seeds & pulses).

The premium amount will also be given to the cultivators as an additional loan by the banks. This premium will be sent directly to the State level Crop Insurance Cell of GIC by the banks concerned.

5. Subsidy :

50% of the premium payable by the Smalll & Marginal farmers will be subsidised by the Central & State Government on a matching basis.

6. Area approach :

The scheme will operate in defined areas for crops notified by the Government from time to time. Each defined area is considered as a unit for Insurance (there will be no individual insurance). In Rajasthan tehsil has been taken as a unit.

7. Basis of Indeminity :

The indemnity will be payable on the sum insured and will be proportionate to the short fall in yields as compared to the thershold yield.

8. Threshold yield of a crop for defind area :

80% of the average yiel per heetare of the crop for the defined area during the last, five years (or such shorter period as may be decided for specific defined area) based on crop cutting experiments.

9. Assessment of Average Yield :

The assessment of average yield for a particular crop will be based upon crop cutting experiments conducted by the Board of Revenue. For this purpose a minimum of 16 crop cutting experiments will be planned on a crop

in each covered Tehsil, which will be conducted by the ILRs and Asstt. Agri. Officers jointly under the supervision of the Directorate of Economic & Statistics.

10. Risk Sharing :

The risk will be shared between General Insurance Corporation of India and Rajasthan State Crop Insurance Fund (functoning as co-insurer with GIC) in the ratio of 2 : 1

11. Claims settlement :

On the availability of average yield data based upon the crop cutting experiments the GIC will settles the claims if the average yield is below the threshold yield of the covered tehsil in consultation with the Director of Agriculture who is the Principal Officer of the fund. The amount of claims will be directly sent by the GIC to the concerned Banks to debit in against the loan advancement made to individual cultivatiors.

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर व्यय

10. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर प्रारम्भ में कुल कितनी राशि व्यय होनें का अनुमान लगाया गया था आर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा परियोजना के पूर्ण होने तक कितनी अनुमानित लागत आयेगी ?

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में किस-किस प्रयोजन हेतु कितना कितना पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कोई प्राथमिकता निर्धारित की गयी है ?

(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सृजित क्षमता का उपयोग किस जिले के कितने-कितने क्षेत्र में हो रहा है ?

(4) क्या सरकार ने सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया है जहाँ कृषि कार्य फलदार वृक्षारोपण, चारागाह विकास पशुपालन उद्योग पेयजल उपलब्धि तथा पर्यावरण व वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है ? यदि हाँ, तो ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण का आधार क्या रहा है ? ऐसे क्षेत्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम सिरे से अन्तिम सिरे तक समान जल वितरण हो सके इसकी व्यवस्था की है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(6) क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पानी के वितरण के लिए फ्लो सिस्टम के अलावा अन्य कोई व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो कब तक करने का विचार है ?

उत्तर

(1) प्रारम्भ में वर्ष 1957 के आंकलन के अनुसार इस परियोजना पर 66.43 करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान लगाया गया था। अगस्त, 1994 तक 1152 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है। वर्ष 1992 के मूल्य स्तर पर परियोजना के वर्ष 2005 में पूर्ण होने तक 2827 करोड़ रुपये की राशि के व्यय होने का अनुमान है।

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 0.87 एम.ए.एफ. पानी पीने व उद्योग हेतु आरक्षित किया गया है, बाकी 6.72 एम.ए.एफ. पानी सिंचाई के लिए रखा गया है। पीने के पानी को प्राथमिकता दी गयी है।

(3) मार्च, 1994 तक इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता तथा उपयोग की स्थिति संलग्न तालिका में दर्शायी है।

(4) यह कार्य सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। उनसे सूचना भेजने हेतु अनुरोध किया है, प्राप्त होते ही माननीय विधायक को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(5) राज्य सरकार के निर्णयानुसार द्वितीय चरण में सिंचाई त्वरिता 80 प्रतिशत एवं वाटर अलाउन्स 3 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ निर्धारित है। इसी प्रकार राज्य सरकार के वर्ष 1983 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रथम चरण में सिंचाई त्वरता को 110 प्रतिशत से कम करने एवं वाटर अलाउन्स को 5.23 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ को समयानुसार कम करने का निर्णय लिया हुआ है। साथ ही वाटर अलाउन्स की समीक्षा करके अपनी अनुशंसा देने हेतु राज्य सरकार ने एक समिति का गठन भी किया हुआ है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

(6) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जल वितरण फ्लो सिस्टम के अलावा कंवरसेन लिफ्ट नहर से भी जल वितरण व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा द्वितीय चरण में 60 मीटर अधिकतम ऊंचाई तक 3.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र हेतु 6 लिफ्ट नहरों का भी आंकलन में प्रावधान है जिनमें से 5 परं कार्य प्रगति पर हैं।

तालिका

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर सृजित सिंचाई क्षमता एवं उसका उपयोग

जिला	मार्च, 1994 तक सिंचाई क्षमता/उपयोग	
	सृजित सिंचाई क्षमता (लाख हैक्टेयर)	वास्तविक अधिकतम सिंचाई (लाख हैक्टेयर)
श्रीगंगानगर	4.06	5.00
बीकानेर	3.48	1.80
जैसलमेर	1.33	0.19
योग	8.87	6.99

वास्तविक सिंचाई :	वर्ष	लाख हैक्टेयर
प्रथम चरण	1992-93	6.15
द्वितीय चरण	1993-94	0.84
	योग	6.99

राजगढ़ (चूरु) में स्वीकृत कार्य

11. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया**(सादुलपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील राजगढ़ जिला चूरु में सन् 1993-94 एवं 1994-95 में सुनिश्चित रोजगार योजना में कुल कितने कार्य स्वीकृत हुए तथा किस-किस ग्राम में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कार्य कब-कब चालू किये गये तथा कितने पूर्ण हुए व कितने अधूरे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त कार्य स्वीकृत होने के बाद भी चालू नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या जिन ग्रामों में जो कार्य स्वीकृत किये गये तथा चालू नहीं किये गये, उन गांवों में किसी दूसरी योजना में कोई कार्य चालू किया गया था ? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़, जिला चूरु में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1993-94 में 19 कार्य व वर्ष 1994-95 में 103 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। गांववार व कार्यवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1993-94 में 19 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 13 कार्य पूर्ण हैं 1 कार्य अपूर्ण हैं तथा 5 कार्य चालू नहीं हुए। वर्ष 1994-95 में 103 कार्य स्वीकृत किए गये हैं, जिनमें से 50 कार्य पूर्ण हैं, 1 कार्य अधूरा है तथा 52 कार्य चालू नहीं किये गये हैं। कार्यवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से 57 कार्य विकास अधिकारी के अकाल राहत कार्यों एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं की क्रियान्विती में व्यस्त रहने के कारण प्रारम्भ नहीं कराये जा सके। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य केवल गैर कृषि अवधि में ही क्रियान्वित किए जा सकते हैं। जो 30 जून को समाप्त हो गयी थी। अतः स्वीकृति पश्चात् बहुत कम समय रहने के कारण कार्य चालू नहीं हो सके। अब ये कार्य 1 नवम्बर, 94 से प्राथमिकता से प्रारम्भ कर दिए जायेंगे। इन कार्यों की क्रियान्विति में ढिलाई पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(4) जिन गांवों में स्वीकृत कार्य चालू नहीं हो सके उनमें से 22 स्थानों पर अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र तारानगर के पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

12. **श्री चन्दनमल बैद** (तारानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने यह

(श्री चन्दनमल बैद)

निर्णय लिया है कि हर पंचायत मुख्यालय पर इस साल उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिये जावेंगे ?

(2) यदि हाँ, तो क्या तारानगर निर्वाचन क्षेत्र के हर पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया है ? यदि नहीं, तो तारानगर निर्वाचन क्षेत्र के कितने पंचायत मुख्यालय इस सुविधा से वंचित हैं और उनमें कब तक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा नहीं है, के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है।

(2) जी नहीं। तारानगर निर्वाचन क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतें क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा से वंचित हैं।

आगामी वर्षों में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर शेष ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को छात्रवृति

13. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नये आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनका अध्ययन सुचारु रुप से चलाने के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो प्रत्येक छात्र को कक्षावार कितनी राशि प्रदान की जाती है ?

(2) क्या सरकार उपलब्ध कराई जा रही राशि को पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों को उनके अध्ययन को सुचारु रुप से चलाने के लिये छात्रवृति दी जाती है।

यह छात्रवृति निम्न प्रकार की है :—

1. पूर्व मैट्रिक छात्रवृति कक्षा 6 से 10

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति कक्षा 11 से 12 (दस जमा दो योजनान्तर्गत) तथा कालेज स्तर पर प्रथम वर्ष से।

3. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के अध्ययनरत बच्चों को देय मैट्रिक पूर्व छात्रवृति कक्षा 1 से 10 तक कक्षावार छात्रवृति विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त छात्रवृतियों में से पूर्व मैट्रिक छात्रवृति राज्य सरकार के नियमानुसार दी जाती है एवं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को मध्ये नजर रखते हुये वर्तमान में छात्रवृति की दरों में वृद्धि का कोई विचार नहीं है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति एवं अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के अध्ययनरत बच्चों को देय मैट्रिक पूर्व छात्रवृति भारत सरकार द्वारा प्रसारित नियमों के अन्तर्गत दी जाती है इन नियमों के अन्तर्गत देय छात्रवृति की दरों में संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा नहीं।

विवरण

राज्य में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के छात्र/छात्राओं को दी जा रही छात्रवृतियों की राशि का विवरण : –

(1) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति :—

कक्षा	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिमाह)	
	छात्र	छात्राएं
6 से 8तक	15/-	20/-
9 से 10 तक	30/-	40/-

एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह तक देय है।

(2) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति : –	**छात्रावासी**	**दैनिक छात्र (डेस्कालर)**
कक्षा 11 एवं 12 (दस जमा दो पद्धति)	115.00 (प्रतिमाह)	65.00 (प्रतिमाह)

इसके अतिरिक्त कॉलेज स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृति की दरें निम्न प्रकार से है :—

अध्ययन पाठ्यक्रम	अवधि	दरें (प्रतिमाह) छात्रावासी	डेस्कालर
1	2	3	4
(1) समूह-"क"			
1. चिकित्सा/इंजीनियरिंग	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिए	280	125
2. वी.एस.सी/कृषि/बी. वी.एस.सी/बी.एफ. एम.सी. (मत्सय)	तदैव		
3. उच्च तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक अध्ययनों में जैसे कृषि तथा पशु चिकित्सा में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम	तदैव		
समूह "ख"			
भारतीय चिकित्सा में उपाधि तथा डिप्लोमा स्तर के पाठयक्रम तथा बी.ए.एम.एस. तथा आयुर्वेदिक, यूनानी/तिब्बया होम्योपैथिक पद्धति, चिकित्सा पद्धति में समकक्ष इंजीनियरिंग, प्रोद्योगिकी, वस्तुकला, चिकित्सा में डिप्लोमा तथा समकक्ष पाठ्यक्रम मुद्रण प्रौद्योगिकी,		190	125

डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम तथा विदेशी छात्रों, प्रारूपकार, सर्वेक्षण के लिए पाठ्यक्रम वाणिज्यक विमान चालक लाइसेन्स, होटल प्रबन्ध, भोजन प्रबन्ध, प्रौद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषण में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम परिचर्या तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वायरलैस तथा टेलीविजन आपरेटर, साउण्ड रिकार्डिंग तथा साउन्ड इंजीनियरिंग, चल-चित्र, फोटोग्राफी फिल्म निर्देशन, फिल्म सम्पादन फिल्म अभिनय, पटकथा लेखन व्यवसाय प्रबंध सनदी तथा लागत/निर्माण कार्य लेखा-शास्त्र में उपाधि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

समूह "ग"

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष तथा उसके बाद
इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा चिकित्सा में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, कृषि चिकित्सा विज्ञान, भारतीय मत्स्योद्योग डेरी विकास, स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य ग्रामीण सेवा के सहकारिता तथा सामुदायिक विकास के लिये पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर में उपाधिकारी पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण या पुस्तकालय विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला तथा विधि में उपाधि, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शिल्प अनुदेशक का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, होटल प्रबंध में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भोजन प्रबंध प्रौद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार कला तथा वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।	190	125

समूह "घ"

स्नातकोत्तर तथा सामान्य पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष और आगे)	पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए	175	90

समूह "ड"

10 जमा 2 पद्धति से 11 वीं और 12वीं कक्षाएं इन्टर पाठ्यक्रम और स्नातक स्तर तक के सामान्य पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष	तदैव	115	65

(3) अस्वच्छ कार्यों में लगे लोगों के अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृत्ति :—

भारत सरकार की इस नवीन छात्रवृति योजनान्तर्गत निम्न दरों से छात्रवृति दी जाती है :—

कक्षा	राशि (प्रतिमाह)
1 से 5	25/- (10 माह के लिए)
6 से 8	40/- " " " "
9 से 10	50/- " " " "

उक्त छात्रवृत्ति राशि के अलावा प्रत्येक छात्र को रुपये 500 प्रतिवर्ष एक मुश्त तदर्थ अनुदान भी दिया जाता है।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र के गांवों में हैण्डपम्प

14. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं के विभिन्न गांवों में हैण्डपम्प स्थाई तौर से अक्षम घोषित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प खोदने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या गांवों के हैण्ड पम्प संधारण हेतु सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था के सुधार की कोई योजना रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) उल्लिखित विधान सभा क्षेत्र में स्थापित कुल 921 हैण्डपम्पों में से 42 हैण्ड पम्प परित्यक्त हैं। सारे राज्य में ही वर्तमान विभागीय नीति के अनुरूप परित्यक्त हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प आवश्यकताओं को दृष्टिगत कर एवं धन उपलब्धतानुसार लगाये जाते रहे हैं व लगाये जाते रहेंगे।

(2) पहले से ही, ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंप संधारण का कार्य पंचायत समितियों के अधीन है। विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाकर भी खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत की जाती रही है। हैण्डपम्पों के संधारण का कार्य अब पंचायत अधिनियम के प्रावधानानुसार किया जाना है।

सहायक कृषि अधिकारियों के पदोन्नति प्रकरण

15. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद से कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत किऐ जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की अन्तिम बैठक कब हुई थी?

(2) उक्त समिति ने कुल कितने अधिकारियों को विचार परिधि में लिया तथा उसका आधार क्या था?

(3) उक्त समिति ने कुल कितने अधिकारियों को पदोन्नत किया तथा उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कुल कितने अधिकारी शामिल थे?

उत्तर

(1) कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद से कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.7.92 को आयोजित की गयी थी। इसमें कृषि अधिकारी के 30 पदों के विरुद्ध 26 का चयन किया गया। एक पद के लिये चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखा गया तथा 3 व्यक्तियों का चयन विचाराधीन रखा गया। तत्पश्चात् इसी बैठक के क्रम में विचाराधीन 3 पदों के लिये दिनांक 2.1.93 को पुनः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें 1 व्यक्ति को चयनित किया गया।

(2) कृषि अधिकारियों के पद पर 30 पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गयी एवं विचार परिधि में 30 पदों के विरुद्ध 3 गुणा अर्थात् 90 व्यक्तियों के नाम वरिष्ठता सूची के अनुसार सम्मिलित किये गये।

(3) उक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 30 पदों के विरुद्ध 27 व्यक्तियों को चयनित कर पदोन्नति दी गयी थी। इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या शून्य थी।

शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के खिलाड़ियों का मैस भत्ता

16. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 15 मार्च, 1994 को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के खिलाड़ियों का मैस भत्ता तुरन्त बढ़ाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त मैस भत्ता बढ़ा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक यह भत्ता बढ़ा दिया जायेगा?

(2) क्या शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि उक्त स्कूल के छात्रावासों का सम्पूर्ण काया कल्प कराया जायेगा? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। घोषणा के अनुसार खिलाड़ियों का मैस भत्ता 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है।

(2) जी हां, घोषणा के अनुसार छात्रावासों को 25 हजार रुपये की राशि सफेदी व शोचालय को मरम्मत हेतु तथा एक लाख पांच हजार रुपये विद्यालय भवन की मरम्मत हेतु आबंटित किये गये एवं मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है जो प्रगति पर है।

नारी निकेतन व महिला आवास सदन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

17. **श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नारी निकेतन व महिला आवास सदन के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(२०)

(श्री परसादी लाल मीणा)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों की जांच करवाई गयी हैं? यदि हां, तो इसमें किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी को दोषी पाया गया एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, राजकीय महिला सदन, घाट की गूणी, जयपुर के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के ग्रामवासियों को जनता जल योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन

18. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के गांव ढलिसर, ब्राह्मणों की ढाणी, हनुमानपुरा उर्फ तिरलोका का बास, हमीरवास खुर्द हंसासर, पिलानी खुर्द, टॉई आदि गांवों के ग्रामवासियों ने जनता जल योजना या टी.एस.एस. योजना के अन्तर्गत आवेदन कर 2100.00 रुपये बिजली कनेक्शन हेतु जमा करा रखे हैं? यदि हाँ, तो इन्हें कनेक्शन कब तक दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों में से कुछ गांवों में तुरन्त समुचित जल व्यवस्था करने के मंत्री स्तर पर आदेश पूर्व में हो चुके हैं? यदि हाँ, तो इन्हें जल सुविधा अब तक नहीं मिलने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) मण्डावा विधानसभा क्षेत्र के उल्लेखित ग्रामों के ग्रामवासियों द्वारा विद्युत संबंध हेतु 2100.00 रु. की राशि जमा करवायी जाने की इस विभाग को जानकारी नहीं है और ना ही विभाग द्वारा जनता जल योजना अथवा परम्परागत स्रोत की नई योजना स्वीकृत की गयी है।

(2) उपरोक्त ग्रामों में से ग्राम पिलानी खुर्द एवं हंसासर की हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये थे जिनकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

फव्वारा सैट्स की खरीद पर अनुदान

19. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फव्वारा सैट क्रय करने पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो यह किस विभाग के माध्यम से दिया जाता है?

(2) क्या इस संबंध में कृषि विभाग के कृषि सचिव द्वारा कोई ऐसा निर्णय पूर्व में लिया गया कि फव्वारा सैट पर दी जाने वाली अनुदान की राशि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को स्थानान्तरित कर दी जावे एवं अनुदान राशि उनके द्वारा ही वितरित की जावे तथा उनके द्वारा ही उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जारी किया जावे? यदि हां, तो अब तक उक्त निर्णय की पालना नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भीमराज भाटी)

(3) क्या सरकार अब अनुदान राशि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को उक्त निर्णय के आधार पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हाँ।

कृषि विभाग के माध्यम से।

(2) जी हाँ।

उक्त निर्णय की पालनार्थ कृषि विभाग को अनुदान राशि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी थी तथा कृषि विभाग द्वारा राशि हस्तान्तरण के आदेश जारी कर दिए गए थे परन्तु राशि हस्तान्तरण के लिए रुपये 10.00 के इनडेमिनिटी स्टाम्प पेपर पर प्रबन्ध संचालक, राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा राशि उपयोग करने से संबंधित निर्धारित शर्तों को अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक था। प्रबन्ध संचालक, राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण ट्रेजरी से राशि हस्तान्तरण कराया जाना संभव नहीं था। अतः पुनः राज्य सरकार की अनुमति से राशि जिले के उप निदेशक, कृषि (विस्तार) को आवंटित कर दी गयी।

(3) जी, नहीं, क्योंकि : —

1. इस योजना में अनुदान ऋण स्वीकृति पर भूमि विकास बैंक एवं अन्य वाणिज्यिक बैंकों को विभाग द्वारा यह सत्यापित करने के पश्चात् ऋण दिया जाता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है एवं उसकी पात्रता विभिन्न योजनाओं यथा- तिलहन विकास कार्यक्रम, दलहन विकास कार्यक्रम एवं राज्य योजना आदि की शर्तों अनुसार है।

2. यह कृषि विभाग का कार्यक्रम है एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग द्वारा देने पर ही मान्य होगा।

ऋषभदेव में देवस्थान की दुकानें

20. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ऋषभदेव में देवस्थान विभाग की कुछ दुकानें हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ दुकानों के किरायेदार एवं उप किरायेदारों के कुछ मामले विवादास्पद हैं ? यदि हाँ, तो कितने ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ फाइलें सरकार के पास फैसले के लिए विचाराधीन हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी कितनी फाइलें हैं और कब तक इन पर फैसला होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री ऋषभदेव जी की ऋषभदेव में 78 दुकानें हैं।

(2) जी हाँ, 48 दुकानों के किरायेदारी के मामले विवादास्पद हैं।

(3) जी हाँ, दुकानों के 20 विवादास्पद प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं जिनमें से 14 प्रकरणों पर नियमन की सहमति दी जा चुकी है। शेष प्रकरणों का परीक्षण किया जा रहा है।

छीपाबड़ोद का निर्माणाधीन छात्रावास

21. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

छीपा बड़ोद में निर्माणाधीन समाज कल्याण छात्रावास का कार्य कब प्रारम्भ किया गया? अब तक कितना निर्माण कार्य हो चुका है एवं उस पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है? छात्रावास का निर्माण कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

इस छात्रावास भवन का निर्माण कार्य माह जनवरी, 1990 में प्रारम्भ किया गया था। अब तक 5 कमरों का छात्र स्तर तक का कार्य हो चुका है एवं इनमें आंशिक कार्य शेष है। निर्माण कार्य पर माह अगस्त, 1994 तक रुपये 9.69 लाख का व्यय हो चुका है। 5 कमरों का निर्माण कार्य माह मार्च, 1995 तक पूर्ण होने की संभावना है। छात्रावास भवन का सम्पूर्ण कार्य वर्ष 1995-96 में पूर्ण होने की संभावना है।

भीलवाड़ा नगर न्यास द्वारा अवाप्त भूमि

22. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर न्यास द्वारा भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर स्थित उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिण्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड (सोपस्टोन फैक्ट्री) की भूमि को अवाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? यदि हाँ, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि भूमि व्यावसायिक प्रयोजन की है, जिसमें आवासीय तथा बिलानाम भूमि भी मिली हुई है? यदि हाँ तो किस्मवार कुल कितनी भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस भूमि अवाप्ति के बाद न्यास द्वारा कोई योजना बनाई गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस योजना की क्रियान्विति न्यास द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है? यदि हाँ, तो कब? योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि किन्हीं कारणों से इस भूमि को पुनः अवाप्त मुक्त रखने का न्यास द्वारा प्रयास किया गया है और प्रस्ताव पारित किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों व किस प्रयोजन से?

उत्तर

(1) यह सही है कि भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा भीलवाड़ा-चित्तोड़गढ़ मार्ग पर स्थित उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिण्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड की भूमि को अवाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था यह प्रस्ताव न्यास की बैठक दिनांक 11.1.1993 एवं 12.2.1993 में पारित किया गया था।

(2) यह सही नहीं है कि वर्तमान में यह भूमि व्यावसायिक प्रयोजन की है बल्कि मौके पर वर्तमान में सोप स्टोन फैक्ट्री कार्यरत है इस सम्पूर्ण भूमि 28 बीघा 19 बिस्वा है, में से 12 बीघा 9 बिस्वा भूमि बोलानाम नाकाबिल कास्त फैक्ट्री दर्ज है तथा शेष 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि उदयपुर मिनरल डवलप सिण्डीकेट भीलवाड़ा का उद्योग प्रयोजनार्थ स्थानान्तरित की गयी है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) वर्तमान में उक्त भूमि अवाप्त नहीं हुई है मात्र भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था लेकिन उक्त प्रस्तावित योजना राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 32 (1) में अधिसूचित नहीं हुई है। अतः भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है।

(4) योजना के मात्र प्रस्ताव तैयार किये गये हैं योजना की क्रियान्विति न्यास द्वारा प्रारम्भ नहीं की गई है।

(5) यह सही नहीं है कि किन्हीं कारणों से इस भूमि को पुनः अवाप्त मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। मात्र वित्तीय विश्लेषण के साथ प्रस्तावित योजना को विडो करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजने से संबंधित प्रस्ताव न्यास की बैठक में पारित किया गया है।

कोटा-बारां नहर मार्ग से गुजरने वाले वाहनों से कर वसूली

23. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कोटा व बारां जिले को जोड़ने वाले नहर मार्ग से वर्षा ऋतु में गुजरने वाले वाहनों से विगत पाँच वर्षों में कितना कर वसूल किया गया है? इस राशि को किस कार्य पर खर्च किया जाता है?

(2) क्या इस वर्ष राशि बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई है? यदि हाँ, तो किस प्रकार के वाहन से कितनी-कितनी राशि वसूल की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस नहर मार्ग की देख-रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब से?

(4) क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग से इस मार्ग की देख-रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द करने के बाद भी वाहनों से शुल्क वसूल किया जाएगा?

उत्तर

(1) कोटा बारां जिले को जोड़ने वाले नहर मार्ग से वर्षा ऋतु में गुजरने वाले वाहनों से विगत 5 वर्षों में आर. एम. सी. प्रथम खण्ड में 5,37,463 व आर. एम. सी. द्वितीय में 5,26,863 कुल दोनों खण्डों द्वारा 10,64,316/- रुपये वसूल किये गये। उक्त राशि 0701- मुख्य एवं मध्यम सिंचाई मद में जमा करा दी गयी है। उक्त राशि सरकार की शुद्ध आय है। सिंचित क्षेत्र विकास संगठन, कोटा द्वारा यह राशि सीधे किसी भी कार्य पर खर्च नहीं की जाती है।

(2) इस वर्ष से पूर्व 1987 से निर्धारित कर की दर प्रचलित थी, जो निम्न प्रकार थी, जिनमें व्यवसायिक वाहनों पर कुछ बढ़ोत्तरी की गयी है :—

वाहन	प्रतिदिन प्रति कि.मी. 4.6.87 से	प्रतिदिन प्रति कि.मी. 30.7.94 से
1	2	3
1. बस	1.00	2.00
2. मिनीबस/टैम्पो	0.50	2.00
3. ट्रक	1.50	3.00
4. ट्रेक्टर ट्राली सहित/रहित	0.75	1.00

Page No. 50

(२४)

(सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

5. भारी वाहन जैसे डम्पर, डीजर आदि।	5.00	10.00
6. हल्के वाहन जैसे—जीप, कार।	0.50	1.00
7. स्कूटर, तिपहिया वाहन मोटर साइकिल	0.50	0.50
8. बैलगाड़ी	0.25	0.25

(3) जी हाँ काली सिंध नदी पर कोटा बारां सड़क पर पुल बनने तक इस सड़क की देखरेख सार्वजनिक निर्माण विकास द्वारा करायी जाएगी। कार्य सौंपने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(4) इस सम्बन्ध में निर्णय नियमानुसार लिया जाएगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या – 24)

(स्थगित)

जोधपुर लिफ्ट कैनाल हेतु पाइपों का खरीद प्रकरण

25. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर लिफ्ट कैनाल पर कुल कितना पाइप लगेगा? पाइप पर लगने वाले जोइन्ट की निविदाएँ कब निकाली गई व उन पर निर्णय किस आधार पर लिया गया? इस कार्य का विभाजन दो चरणों में किस आधार पर किया गया व दोनों चरणों का काम कब-कब प्रारम्भ होकर कब तक पूर्ण होना था? इसमें विलम्ब के क्या कारण रहे?

(2) द्वितीय चरण के पाइपों के रंग का ठेका किस फर्म को किस दर से दिया गया व कितनी अवधि में कार्य पूरा किया जाना तय हुआ तथा उक्त अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर क्या कार्यवाही की गयी? अब कब तक यह काम पूरा हो जाएगा?

(3) जोधपुर लिफ्ट कैनाल की पूर्ण योजना कब तक पूरी कर ली जायेगी तथा इस पर कुल कितना व्यय होगा व इस वर्ष कितना व्यय किया जाएगा?

(4) जोधपुर लिफ्ट कैनाल के पम्प स्टेशन सिविल पर कुल व्यय कितना होने वाला है व अब तक कितना व्यय किया गया तथा कब तक यह काम पूरा हो जाएगा?

उत्तर

(1) जोधपुर लिफ्ट नहर की स्वीकृत योजना में विभिन्न व्यास के कुल 32310 मीटर लम्बाई के पाइप लगाये जाने का प्रावधान है। इन पाइपों पर लगने वाले एक्सपेन्शन जोइंट्स की आपूर्ति हेतु दिनांक 17.3.92, 19.12.92 एवं 7.5.93 को निविदाएँ आमंत्रित की गयी। प्राप्त निविदाओं पर निविदा में वर्णित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा विभागीय क्रय समिति (क्षेत्रीय) द्वारा पाई गयी योग्य फर्मों में से न्यूनतम दरों के आधार पर निर्णय किया गया। पाइप लाइन के दो भाग अर्थात् पम्पग्रह 5 एवं 6 के लिए क्रमशः 35 व 30 (कुल 65) जोइंटस की मांग थी जिसकी अनुमानित राशि निविदानुसार 39 लाख थी। प्राप्त निविदाओं में वास्तविक न्यूनतम दरों के अनुसार 39 लाख रु. की राशि में 42 जोइंट्स के आदेश दिये गये और शेष आवश्यक जोइंट्स हेतु पुनः निविदा आमंत्रिक की गई। उक्त प्रकरण की विभाग द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रथम चरण में आपूर्ति 17 एवं 18 अगस्त, 1992 से प्रारम्भ होकर 16 एवं 17 दिसम्बर, 1992 तक पूर्ण होना थी जो 15 मार्च से 25 मई 1993 तक आंशिक मात्रा में हुई। द्वितीय चरण में आपूर्ति 31 मार्च, 93 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 93 तक पूर्ण होनी थी। आपूर्ति न होने के कारण निविदा पुनः आमंत्रित की गई। प्राप्त निविदा के विरुद्ध आपूर्ति 11 जून 1993 से प्रारम्भ होकर 2 से 10 जुलाई, 93 तक पूर्ण की जानी थी जो 31 जुलाई तक पूर्ण हुई। देरी से आपूर्ति जोइंट्स के निर्माण में काम में आने वाले सामान की प्राप्ति में कठिनाई, असामान्य कानून एवं व्यवस्था संबंधी स्थिति इत्यादि कारणों से हुई।

(2) द्वितीय चरण के दो भागों के पाइपों के रंग हेतु मै. प्रियदर्शनी एन्टरप्राईजेज, जयपुर को 141.21 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से आदेश की दिनांक 24.2.93 व 15.2.93 से तीन माह में पूर्ण करने के दो आदेश दिये गये। फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न किये जाने पर फर्म के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के अधीन कार्यवाही करने के लिए अन्तिम नोटिस 22.8.94 को दिया गया है। शेष बचे कार्य को दो माह की अवधि में फर्म के हर्जे-खर्चे पर करवाने के लिए आपातकालीन निविदा जारी कर दी गई है जो 30.9.94 को प्राप्त की जानी है। उक्त शेष कार्य को अन्य फर्म से करवाये जाने पर भी माह दिसम्बर, 94 तक कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(3) जोधपुर लिफ्ट नहर के प्रथम चरण का समस्त कार्य दिसम्बर 96 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इस योजना पर कुल 256.80 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है। योजना हेतु वर्ष 94-95 में 37.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है।

(4) जोधपुर लिफ्ट कैनाल के आठ पम्पग्रहों के सिविल कार्यों पर कुल अनुमानित 2242.00 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है, जिसके विरुद्ध माह अगस्त, 1994 तक 1644.26 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। पम्पग्रह संख्या— 1,2,3,4,6,7 व 8 का निर्माण कार्य माह फरवरी, 1995 तक तथा पम्पग्रह 5 का कार्य माह जून, 95 तक पूर्ण होने की संभावना है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका नैनवां में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद

1. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका नैनवां में पेटर्न्स के अनुसार सफाई कर्मचारियों के 50 पद स्वीकृत होते हुए भी इस समय मात्र 17 सफाई कर्मचारी ही कार्यरत हैं? यदि हाँ तो, 33 रिक्त पदों पर कब तक स्थाई नियुक्तियाँ की जावेगी?

(2) उक्त नगरपालिका में ऐसे कितने सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें कार्य करते हुए 240 दिन से अधिक समय हो चुका है? क्या उक्त कर्मचारियों की सेवा नियमन एवं वेतन देने बाबत नियमों में प्रावधान है? सरकार इन कर्मचारियों की सेवाएं कब तक नियमित कर इन्हें पूर्ण वेतन एवं अन्य लाभ कब-कब से दिये जाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस समय 32 सफाई कर्मचारी स्थाई रूप से नियुक्त हैं एवं कार्यरत हैं।

(2) एक कर्मचारी 240 दिन से अधिक कार्यरत है। इसका नियमन शीघ्र किया जा रहा है।

तोपखाना देश, जयपुर स्थित भूमि का स्वामित्व

2. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पैमाइश शहर आबादी सम्वत् 1925 के भू-प्रबन्ध के पुराने रिकॉर्डों में पैन्सिली इन्द्राज है? यदि हाँ तो उनकी मान्यता के क्या आधार हैं? यदि नहीं, तो किस आदेश के तहत मान्यता नहीं है? सरकार ने इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं?

(2) क्या सिटी सर्वे के अनुसार खसरा नं. 2045 व 2051 जो कि पुराने शहर आबादी पैमाइश सम्वत् 1925 ब्लॉक नं.33 चौकड़ी तोपखाना देश, भूरा टीबा, जयपुर के खसरा नं. 164 व 165 हैं, पर सरकारी स्वामित्व व सरकार का मालिकाना हक माना है? क्या उक्त भूमि पर से नगर परिषद ने वर्ष 1992 में अवैध अतिक्रमण हटाया था?

(3) क्या उक्त खसरा नम्बरान पर सरकारी स्वामित्व व सरकार का मालिकाना हक था? यदि हाँ, तो किन आधारों पर? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर में भू-प्रबन्ध विभाग से सम्वत् 1925 के रिकॉर्ड की जो प्रति मिली है उसमें पेन्सिल से इन्द्राज नहीं है। नगर निगम इसे पुराना कब्जा साबित करने के लिए बतौर सबूत मानता है।

(2) सिटी सर्वे के अनुसार खसरा नम्बर 2045 सम्वत् 1925 के ब्लॉक नं. 33 के खसरा नम्बर 164 व 165 पर ही आते हैं एवं सिटी सर्वे के खसरा नं. 2051 सम्वत् 1925 के खसरा नं 177 पर आता है। सिटी सर्वे के रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 2045 में गली आमद रफत एवं खसरा नं. 2051 में चौक मिलकियत सरकार है। वर्ष 1992 में इस स्थान से अवैध अतिक्रमण हटाया गया था।

(3) जी हाँ। रिकार्ड सिटी सर्वे के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान पर मालिकाना हक सरकार का दर्ज है।

फायर ब्रिगेड कार्यालय, कोटा में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण

3. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा), **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर), एवं **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा नगर परिषद् द्वारा संचालित फायर बिग्रेड आफिस में सभी कर्मचारियों को आग बुझाने की ट्रेनिंग दी हुई है? यदि हाँ, तो किस-किस कर्मचारी ने कहाँ-कहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त की? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर निगम, कोटा द्वारा संचालित फायर ब्रिगेड में कार्यरत फायर ऑफिसर ने बेसिक कोर्स इन एलीमेन्ट्री फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, नागपुर से प्राप्त की है। अन्य कर्मचारी ट्रेनिंगशुदा नहीं हैं। सेवा नियमों में नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। अन्य कर्मचारियों को पदोन्नति से पदस्थापित किया गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

नगर निगम, कोटा द्वारा संचालित फायर बिग्रेड कार्यालय में निम्नांकित पद स्वीकृत हैं—

1. फायर ऑफिसर (राजस्थान नगर पालिका सेवा में) 2. सहायक फायर ऑफिसर

3. चालक 4. लीडिंग फ़ायरमैन 5. फायरमैन

उपरोक्त में से क्रम सं. 2 के लिए लीडिंग फायरमैन से 5 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का, क्रम सं 3 के लिए केवल वाहन चालक लाइसेंस होने का, क्रम सं. 4 के लिए फायरमैन को 5 वर्षीय अनुभव के आधार पर पदोन्नति का तथा क्रम सं. 5 के लिए सीधी भर्ती में मिडिल पास अथवा समकक्ष योग्यताधारक को सेवा में लेने का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत है। किसी भी कर्मचारी को किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संस्था के द्वारा ट्रेनिंग नहीं दी हुई है, क्योंकि सेवा नियमों में नियुक्ति के बाद केवल परम्परागत तरीके से ट्रेनिंग देने का उल्लेख किया गया है।

नगरपालिका नैनवां के अध्यक्ष/ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

4. श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नैनवां के बोर्ड अध्यक्ष, नगर पार्षद या कर्मचारियों के विरुद्ध किसी वार्ड पार्षद द्वारा लिखित में शिकायत की गयी है? यदि हाँ, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त शिकायतों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो जांच कब तक पूरी करवा ली जाएगी?

उत्तर

(1) जी हाँ। शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हाँ। जिला कलक्टर को जांच के लिए लिखा जा चुका है।

प्रति

सेवा में,

श्रीमान स्वायत्त शासन मंत्री महोदय
राजस्थान सरकार
विषय :— अनियमितताओं की जांच करने बाबत।

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर-पालिका अध्यक्ष श्री गोपीलाल सैनी द्वारा की जा रही अनियमितताएँ—

(1) नगर पालिका नैनवां में बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के 15 आदमियों को दैनिक वेतन पर लगा रखा है जबकि पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है।

(2) स्वयं अध्यक्ष ने अपने ही परिवार के एक कनिष्ठ अभियन्ता को बिना राज्य सरकार के आदेश के दैनिक पर रख रखा है।

(२८)

(3) निसार अहमद आ. भंवरलाल लीलगर को भूखण्ड बिना बोर्ड के व राज्य सरकार की स्वीकृति के बहुमूल्य स्थान पर परिवर्तन कर दिया है।

(4) अध्यक्ष बनने के पश्चात बोर्ड मण्डल की कोई मीटिंग नहीं बुलाई है।

(5) स्वयं अध्यक्ष के 5000/- रु. नगर पालिका कोष से केस लड़ने के लिए उठाये हैं जो अनुचित है।

(6) अध्यक्ष बनने के पश्चात् राजस्व आय व चुंगी में भारी कमी आई है।

(7) श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बूंदी ने श्री गोपीलाल सैनी (जिसके खिलाफ न्यायिक जांच चालू है।) के विरुद्ध बहुत गम्भीर-गम्भीर शिकायतें श्रीमान को पेश की गई हैं यह शिकायतें एक वरिष्ठ सदस्य नगर पालिका श्री जगदीश प्रसाद जोशी द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय को प्रस्तुत की गई हैं।

(8) यह निगाह में रहे कि डी. एल. बी. द्वारा भेजा गया आरोप पत्र सं. 1013 दि. 3.11.93 श्रीमान न्यायिक अधिकारी को पेश हो चुका है। किन्तु तीन माह के उपरान्त भी अब तक धारा 63 (4) नगर पालिका अधिनियम 1959 के अधीन भी निलम्बित नहीं किया गया है डी. एल. बी. द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोप पत्रों में बहुत गम्भीर-गम्भीर आरोप हैं।

विशेष—पालिका में नाबालिग व्यक्तियों को भी लगा रखा है तथा एक ही परिवार के 4-5 व्यक्तियों को पालिका में लगा रखा है।

उपरोक्त सिद्ध हुये सभी दोषों के पश्चात् भी श्री गोपीलाल का पदस्थ (अध्यक्ष नगरपालिका) बने रहने का कहीं भी नियत संगत नहीं है।

अतः उक्त लिखित बिन्दुओं में से जिन बिन्दुओं पर जांच अपेक्षित हो जांच करवाई जावे। चरण सं. 8 के सन्दर्भ में तुरन्त निलम्बन आज्ञा फरमाने की कृपा करें जिससे कि नैनवां नगर पालिका की गौरव गरिमा बनी रह सके।

प्रतिलिपि— श्रीमान उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
श्रीमान निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

दिनांक

भवदीय
ह.
(पुखराज ओसवाल)
पूर्व अध्यक्ष
नगर पालिका नैनवां
जिला- बूंदी (राज.)

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ई. पी. आई. लि. को भुगतान

5. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) एवं श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ई. पी. आई. लि. को राशि का भुगतान किया गया है ? यदि हाँ तो कितनी राशि किस बाबत, किस तारीख को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हाँ। वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92 और 92-93 में ई. पी. आई. लि. को निम्न प्रकार भुगतान किये गये—

1. किये गये कार्य के लिए 699.10 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

2. सीमेन्ट, स्टील व अन्य सामान के लिये क्रमशः 205.22 लाख, 76.67 लाख, 201.91 लाख रुपयों का भुगतान किया गया।

3. मोबिलाइजेशन के लिए अग्रिम के रूप में 439.58 लाख रुपये दिये गये। इस तरह से कुल राशि 1622.48 लाख रुपये का भुगतान भिन्न-भिन्न तिथियों पर किया गया।

यह भुगतान चार वर्ष के अन्तराल में कई टुकड़ों में भिन्न तिथियों को किया गया है। इसलिये तिथियों की सूचना तुरन्त संकलित करके देना संभव नहीं है। इसमें समय लगना स्वाभाविक है।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 6

(स्थगित)

परसराम नगर, जयपुर में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था

7. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खाचरी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने सीकर रोड पर मुरलीपुरा स्कूल से ढेर का बालाजी, जयपुर तक पानी के निकास हेतु एक नाले का निर्माण कराया है ?

(2) क्या यह सही है कि परसराम नगर, स्कीम नम्बर-5 ढेर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर में गन्दे पानी व बरसात के पानी का निकासी नहीं होने के कारण मुख्य सड़क के पास पानी भर जाने से बस्ती में आने-जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जिससे जन-धन की क्षति होने का भय बना रहता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस जनहित की समस्या के समाधान हेतु सीकर रोड पर सड़क की दूसरी ओर जैसा नाला बनाया है वैसा ही नाला परसराम नगर, ढेर के बालाजी, जयपुर की तरफ भी बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीकर रोड पर मुरलीपुरा से ढेर के बालाजी तक पानी के निकास हेतु अभी तक कोई नाला नहीं बनवाया गया है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर 19 विद्याधर नगर व वी. के. आई. क्षेत्र में वर्षा के पानी के निकास हेतु एक प्रोजेक्ट 11.03 करोड़ का तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत अत्याधिक होने के कारण इस पर पुनः विचार किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में इन नालों के लिये अमानीशाह नालों पर बनाये जाने वाले "फाल" का कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

इस सम्पूर्ण कार्य हेतु विभिन्न विभागों से योगदान लिया जावेगा, जिससे मुख्य प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रीको तथा नगर निगम भी है।

11.03 करोड़ में सीकर रोड पर एक मुख्य नाला व जयपुर सीकर रेल्वे लाइन के समानान्तर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

मुख्य नाले बनाये जाने प्रस्तावित हैं। विद्याधर नगर की अतिरिक्त नालियां भी सम्मिलित हैं।

इस प्रोजेक्ट की कुल लागत बहुत अधिक होने के कारण इसकी क्रियान्विति विभिन्न चरणों में की जाएगी। इन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत परसराम नगर स्कीम नम्बर 5 ढेर के बालाजी, सीकर रोड में वर्षा के पानी के निकास की समस्या भी हल हो जाएगी।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में स्वीकृत पेयजल व पनघट योजनाएँ

8. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में पिछले दो वर्षों में किस-किस ग्राम में पेयजल या पनघट योजना स्वीकृत की गई? इनमें से कितनी योजनायें कार्यरत हैं, कितनी पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी अपूर्ण हैं?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में सरकार पनघट योजना एवं जलदाय योजना लागू करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार वर्ष 1994-95 में जिन कस्बों की आबादी दो हजार से अधिक है, उनमें तथा खेरपुरा-रायता, ढुकराई, चेची में पेयजल योजना या पनघट योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने पर विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र के कितने गांवों में स्थायी तौर पर खराब हैण्डपम्पों के बदले नये हैण्डपम्प लगाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उल्लिखित विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में स्वीकृत 6 ग्रामों की पनघट योजनाओं की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इनके अतिरिक्त 47 ग्रामों हेतु 49 हैण्डपम्पों की स्थापना की भी स्वीकृति दी गयी। जिनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। इनमें से 2 ग्रामों में पनघट योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं तथा 28 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं, वर्तमान में किसी पनघट योजना के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं हैं।

(3) ग्राम खेरपुरा-रायता एवं ढुकराई की 1991 की जनगणनानुसार जनसंख्या 2000 से कम होने के कारण वर्तमान में कोई पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है। इन ग्रामों में हैण्डपम्प योजनाएँ संधारण में हैं। चेची एवं अन्य 2 ग्रामों बोराव एवं काटुण्डा जिनकी 1991 की जनसंख्या 2000 से अधिक हैं, की योजनाओं हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। इन ग्रामों में योजनाएं धन संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वित की जा सकेगी।

(4) बेगूं क्षेत्र में गत 4 वर्षों में 20 ग्रामों में परित्यक्त् हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाये गये।

गत दो वर्षों में विधानसभा क्षेत्र बेगूं में स्वीकृत पनघट योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम		स्वीकृति वर्ष
1.	पनघट जल योजना, श्रीनगर		92-93
2.	पनघट जल योजना, पाछुन्दा		92-93
3.	पनघट जल योजना, खाती खेड़ा	(1)	92-93
4.	पनघट जल योजना, बोराव	(2)	93-94
5.	पनघट जल योजना , नन्दवई		92-93
		(1)	93-94
		(2)	94-95
6.	पनघट जल योजना मेघनिवास	(1)	93-94
		(2)	94-95

गत दो वर्षों में बेगूं विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति बेगूं एंव भैसरोड़गढ़ में नये स्वीकृत हैण्डपम्पों की सूची

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	स्वीकृत हे. प. की संख्या	स्थापित हे. प. की संख्या
1. लक्ष्मीपुरा	420	1	1
2. पाडामार खुर्द	310	1	1
3. बरखेडा	457	1	–
4. केशरपुरा	194	1	1
5. पीपल्दा	184	1	1
6. जलसागर	191	1	1
7. फतेहपुर	52	1	1
8. भागपुरा	190	1	1
9. खेरपुरा	54	1	1
10. नन्दवाई	69	1	1
11. तम्बोलिया(बस स्टेण्ड पर)	296	1	–
12. सिघावाडिया मोजा धागडमऊखुर्द	307	1	–
13 अकोडिया	15	1	1
14. इटावां मझरा खैडिया	31	1	–
15. अनोपपुरा	203	1	–
16. बागपुरा	194	1	1
17. टोलो का लुहारिया	411	1	–
18. धमलाव	316	1	–
19. जावदा	415	1	–
20. जावरा कला	271	1	–
21. मारना	111	1	1
22. तोलो का लुहारिया	407	1	–
23. नाल	62	1	–
24. गोपालपुरा	41	2	2

Page No. 58

(32)

1 2	3	4	5
25. बिना का खेडा	249	1	–
26. राजपुरा	354	1	–
27. नागपुरा	302	1	–
28. सलेरा	120	1	1
29. देवरिया	72	1	1
30. राण्डीया	189	1	1
31. गढवाडा	200	1	–
32. करुण्डिया	208	1	1
33. सरलासिया	225	1	1
34. बोराकुडी	233	1	1
35. फतेहपुरा	237	1	1
36. बालेच्छा	256	1	1
37. खोडिया खास	272	1	–
38. हाजीपुर	273	1	1
39. किशनपुरा	59	1	–
40. धरमदासजी का खेडा	231	1	1
41. सरली का खेडा	237	1	1
42. कचोलिया	275	1	1
43. जालमपुरा	313	1	1
44. नाई की तलाई	321	1	1
45. गोपालपुरा	428	1	–
46. गोविन्दपुरा	443	2	–
47. दोतडा	451	1	–
	योग:-	49	28

सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र में स्वीकृत जलदाय योजनाएं

9. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहाड़ा रायपुर क्षेत्र में पूर्व में एकाधिक जलदाय योजना स्वीकृत की जाकर उनके जल स्रोत भी बना लिए गए है यदि हां, तो उनकी सूची तथा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पी. पी. सी. से पूर्ण राशि की स्वीकृत योजनाओं के शेष कार्य को तुरन्त चालू किए जाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(3) क्या सरकार सहाड़ा तहसील की सोनियाण-इनवरकिया जलदाय योजना जिसका जल स्रोत विकसित हो चुका है, को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान कर तुरंत प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

(4) सरकार गंगापुर रायपुर की प्रस्तावित जलदाय योजनाओं का कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र के अधीन

पूर्व में स्वीकृत पेयजल योजनाएं,उनके स्रोत के निर्माण एंव क्रियान्यवन सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजनाओं हेतु धनराशि आवंटित कर दी गई है एवं शेष कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(3) क्षेत्रिय योजना सोनियाणा- जबरकिया के प्रथम चरण में स्रोत निर्माण हेतु ही स्वीकृति प्रदान की गई थी। द्वितीय चरण में शेष कार्यो हेतु योजना के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं जिनकी स्वीकृति दी जाने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किये जाने सम्भव होंगे।

(4) गंगापुर हेतु पुनर्गठन जल योजना केन्द्र सरकार के अधीन स्वीकृत हेतु विचाराधीन है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। पूर्व में संधारित रायपुर क्षेत्रिय जलदाय योजना का स्रोत असफल हो जाने के कारण कंटीजेन्सी कार्यक्रम के अर्न्तगत एक नया नलकूप ग्राम धूलखेडा में निर्मित कर दिया गया हैं जिसे रायपुर से पाइप लाइन द्वारा जोड़े जाने हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

विवरण

क. सं.	स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति माह	स्रोत निर्माण की स्थिति
1.	क्षेत्रीय जलयोजना, नाहरी जोगरास	9/92	स्रोत निर्मित
2.	क्षेत्रीय जलयोजना, भीटा-भटेवर	7/92	" " "
3.	क्षेत्रीय जलयोजना, पालरा-मेरनिया	7/92	" " "
4.	क्षेत्रीय जलयोजना, खेमाना-गल्यावडी	7/92	" " "
5.	पम्प व टैंक योजना, जड़ोल	9/92	" " "
6.	पम्प व टैंक योजना-कांगनी गाडरी खेड़ा	7/92	" " "
7.	क्षेत्रिय जलयोजना सोनियाना जबरकिया	2/91	" " "
8.	पम्प व टैंक योजना-उल्लाई	7/91	" " "
9.	क्षेत्रीय जलयोजना राम लड़की	12/92	स्रोत निर्माण शेष
10.	क्षेत्रीय जलयोजना खाखरमाला-दुंगच	12/92	" " " "
11.	पम्प व टैंक योजना-आसपुर	12/92	" " " "

ग्राम टोकसी (सवाई माधोपुर) में स्वीकृत नल योजना

10. **श्री रामस्वरुप मीणा** (टोडाभीम) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील गंगापुर सिटी के ग्राम टोकसी में जल योजना स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो उसे कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं, वर्तमान में ग्राम टोकसी में कोई नल योजना स्वीकृत नहीं हैं।

उदयपुर शहर की मान्सी वाकल तथा जयसमन्द पेयजल योजना

11. **श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर शहर में पेयजल व्यवस्था के लिए मान्सी वाकल, जयसमन्द योजनाओं पर कार्य चल रहा है ? यदि हां,तो इस कार्य का प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उदयपुर की पेयजल की व्यवस्था के लिए झामर कोटड़ा माइन्स से निकलने वाले जल का उपयोग पीने के पानी के रुप में किया जा सकता है ? यदि हां,तो क्या इस समबन्ध में विभाग ने कभी विचार किया है ? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में पहाड़ियों पर भी बस्तियाँ बसी हुई हैं ? यदि हां,तो कितनी बस्तियां चिन्हित की गई ? वहां पेयजल की व्यवस्था के लिए विभाग की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उदयपुर शहर की पुरानी और छोटी पाइप लाइन के स्थान पर बड़ी व नई पाइप लाइन लगाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इसका कुल व्यय का अनुमान निर्धारित किया गया ? यदि हां, तो कितना व कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयसमन्द से उदयपुर को पेयजल आपूर्ति हेतु योजना का कार्य प्रगति पर है जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। मान्सी वाकल की मूल योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है,परन्तु देवास (प्रथम चरण) की सुरंग की मरम्मत हेतु रु. 21 लाख की राशि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर को जमा करायी जा चुकी है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां, झामर कोटड़ा से उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु एक योजना बनायी जाकर, तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है।

(3) जी हां, नगर में पहाड़ी पर स्थित पांच बस्तियाँ चिन्हित की जा चुकी हैं। इनमें से माछला मगरा, भोपा मगरी, मठ मादड़ी कच्ची बस्ती में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव नगर विकास न्यास, उदयपुर को प्रेषित किये गये हैं, जिनको स्वीकृति एवं धनराशी की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) वितरण प्रणाली में सुधार हेतु लगभग 1.39 लाख रुपये की योजना का एक प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाया गया था। पुनः विस्तृत योजना बनाई जानी प्रस्तावित है तथा उसकी तकनीकी एंव प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति होने के पश्चात् ही क्रियान्वयन सम्भव होगा।

विवरण

उदयपुर शहर को जयसंमद से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रगतिरत योजना पर वर्तमान में 3 पम्पगृहों, वाटर जलाशय,पाइप लाइन पर पेंटिग तथा कनिष्ठ अभियन्ता चौकी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 52 किलो मीटर लम्बी पाइप लाइन में से 49.1 किलो मीटर पाइप लाइन बिछाकर जोड़ी जा चुकी है। योजना के आंशिक क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक पम्पगृह पर दो पम्पसेट प्राप्त किये जाकर लगा दिये गये है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विभिन्न स्तरों पर विद्युत स्टेशन का कार्य भी लगभग पूर्ण कर दिया गया है। पम्पगृह नम्बर-1 एवं 3 पर अस्थांयी विद्युत सम्बन्ध लिया जाकर लगभग 25 किलो मीटर पाइप टैस्ट की जा चुकी है। योजना की कुल स्वीकृत 16. 16 करोड़ रुपये की राशी के विरुद्व 31 अगस्त, 1994 तक 17. 70 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

विद्याधर नगर, जयपुर की सीवरेज व्यवस्था

12. **श्री हबीबुर्र रहमान** (मूण्डवा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विद्याधर नगर, जयपुर योजना के निवासियों की सुविधा हेतु सीवरेज लाइन डाली है ?

(2) क्या विद्याधर नगर की यह सीवरेज लाइन सीकर रोड पर ढेर के बालाजी होते हुए डाली गई हैं ? क्या राज्य सरकार परसराम नगर स्कीम न. 5 ढेर के बालाजी के निवासियों को भी इसी लाइन से सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही हैं कि सीकर रोड़ पर मुख्य सीवरेज लाइन में कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से मजदूर लगाकर कनेक्शन कर रखें हैं ? यदि हां, तो किन-किन ने और इस अपराध के लिए सम्बन्धित निरीक्षक के विरुद्व क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी नहीं, उक्त सीवर लाइन मुख्य सीकर रोड होते हुए डाली गयी है। तकनीकी रूप से उचित पाये जाने पर एंव वित्तीय साधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वांछित स्थान पर सीवरेज सुविधा उपलब्ध करानी सम्भव होगी।

(3) सूचना संकलित की जा रही है तथा बाद में उपलब्ध करा दी जावेगी।

सहायक अभियन्ता, कार्यालय लालसोट के मृतक कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति

13. **श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा में नियोजित कर्मचारी/अधिकारी के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा में लिया जाता है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सहायक अभियंता, कार्यालय-लालसोट (दौसा) में गत 12 वर्षो में कितने कर्मचारियों की सेवाकाल में रहते हुए मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री परसादीलाल मीणा)

(3) क्या मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त कर्मचारियों के आश्रितों को वर्कचार्ज में नियुक्ति दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि किसी कर्मचारी के आश्रित जो हायर सैकण्डरी शैक्षणिक योग्यता रखता है, को बेलदार के पद पर नियुक्ति दी गयी है जबकी वह अन्य पदों की भी योग्यता रखता है ? क्या सरकार अब योग्यता के अनुसार नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(7) क्या सरकार उक्त कर्मचारी जो कि हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण है, को वर्कचार्ज की नियुक्ति के समय से योग्यतानुसार अन्य पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नियमानुसार केवल संवर्ग के निम्नतम पद पर नियुक्ति की जा सकती है। नियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सहायक अभियन्ता, सिंचाई उप खण्ड, लालसोट (दौसा) के अधीनस्थ गत 12 वर्षों में छः कर्मचारियों की सेवाकाल में रहते हुए मृत्यु हुई। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) नियमानुसार नियुक्ति दी गयी है।

(4) जी नहीं। दैनिक वेतन कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गयी है।

(5) मृतक कार्य प्रभारी कर्मचारियों के आश्रितों को संवर्ग के न्यूनतम पद पर ही नियुक्ति देने का प्रावधान होने के कारण योग्यतानुसार नियुक्ति देना सम्भव नहीं है।

(6) कार्यवाही नियमानुसार की गई है, अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(7) जी नहीं, नियमों में प्रावधान न होने के कारण अन्य पद पर नियुक्ति देना सम्भव नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फव्वारा सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन हेतु योजना

14. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार ने सिंचाई में फव्वारा पद्धति को प्रोत्साहन देकर कृषि उत्पादन बढ़ाकर निर्यात की क्या योजनाएं तैयार की हैं जिससे आर्थिक उदारीकरण का लाभ उठाकर कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके ?

उत्तर

सरकार ने सिंचाई में फव्वारा पद्धति को प्रोत्साहन देकर सीमित जल के कुशल उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किये हैं।

विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को रूपांतरित अवकाशों की स्वीकृति

15. **श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सिंचाई विभाग में वर्कचार्ज, नियमित वर्कचार्ज, स्थायी व अस्थायी और अन्य प्रकार के कार्यरत कर्मचारियों को मेडिकल लीव दिये जाने के पृथक-पृथक, नियम हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए पृथक-पृथक मेडिकल अवकाश संबंधी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग लालसोट (दौसा) कार्यालय के किस-किस वर्ग के कर्मचारियों को गत दो वर्षों में चिकित्सा अवकाश स्वीकार नहीं किया गया और इसके क्या कारण रहें ?

(3) इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को वर्ष 1972, 1973 व 1974 में वर्कचार्ज कर्मचारी से नियमित कर्मचारी की श्रेणी में करने के आदेश जारी किये जाकर कालांतर में नियमित कर दिये गये ?

(4) उपरोक्त कार्यालय में अब कितने कर्मचारी वर्ष 1972 से पूर्व के और उसके बाद के किस-किस वर्ग में वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

(5) सरकार के आदेश से सभी वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने के पश्चात् सभी कर्मचारियों को मेडिकल अवकाश स्वीकृत न किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्ष 1972 में वर्कचार्ज से नियमित किये गये कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश नहीं दिये जाने के क्या-क्या कारण हैं और नियमों में ऐसी कौनसी बाधाएं हैं जिनके कारण नियमित करने के लगभग 20 वर्ष पश्चात् भी कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश नहीं दिया जाता ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) चिकित्सा अवकाश अनियमित तरीके से स्वीकार करने की गलती के लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी तथा कर्मचारियों के खातों में चिकित्सा अवकाश स्वीकार कर उसके उपार्जित अवकाश के खाते से कटौती के आदेश को रद्द कब तक कर उपार्जित अवकाश में जोड़ दिया जाएगा ?

(8) क्या वर्ष 1972 में वर्कचार्ज से नियमित किये गये कर्मचारियों को उक्त कार्यालय में राज्य सरकार के नियमानुसार 9,18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों को ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब कब तक उक्त लाभ देने का विचार रखती है ?

(9) उक्त वेतन वृद्धियां नहीं दिये जा सकने से संबंधित नियमों की प्रति सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ। सम्बन्धित नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" एवं परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) गत दो वर्षों में सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग लालसोट (दौसा) के कार्य प्रभारी नियमित संवर्ग के एक कर्मचारी श्री शंकर लाल मिस्त्री को वर्ष 1993 में मेडिकल अवकाश कार्यप्रभारी सेवा नियमों 1964 में चिकित्सा अवकाश का प्रावधान न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया।

(3) वर्ष 1972 से सिंचाई विभाग के 1148 कर्मचारियों को नियमित किया गया। अन्य वर्षों की सूचना शून्य है।

(4) सहायक अभियंता सिंचाई उपखण्ड लालसोट (दौसा) में 1972 के पूर्व व उसके पश्चात् कार्यरत कार्यप्रभारी कर्मचारियों की संख्या परिशिष्ट "स" पर संलग्न तालिका में अंकित है।

(5) कार्यप्रभारी नियम 1964 में मेडिकल अवकाश देने का कोई प्रावधान नहीं है। नियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(6) इन कर्मचारियों पर कार्यप्रभारी नियम 1964 लागू होते हैं। इन नियमों में चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(7) अवकाश नियमानुसार ही अस्वीकृत किये गये है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(8) जी नहीं। नियमानुसार कार्यप्रभारी सेवा से विभिन्न पदों पर समायोजित होने की दिनांक से सेवा की गणना की जाकर चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ देने का प्रावधान है। चयनित वेतन श्रृंखला देने का प्रावधान अधिनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा व चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों पर ही लागू है। कार्यप्रभारी कर्मचारियों को चयनित वेतन श्रृंखला देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(9) चयनित वेतन श्रृंखला नियमों की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत एनीकट

16. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पिछले 4 सालों में कितने और कौन-कौन से, कितनी-कितनी लागत के एनीकट स्वीकृत किये गये हैं? क्या वे बन गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1994-95 में सरकार कोई एनीकट बेगूं विधान सभा क्षेत्र में बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा 5 एनीकटों के निर्माण के लिए पंचायत समिति बेगूं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इन एनीकटों का निर्माण पंचायत समिति बेगूं द्वारा धनराशि की उपलब्धता होने पर किया जा सकेगा।

सूची 'अ'

नाम एनीकट	प्रारम्भिक स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	योजना जिसमें राशि स्वीकृत हुई	कुल व्यय राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
बनियावास एनीकट	2.30	जवाहर रोजगार योजना	0.57	अपूर्ण
श्री पुरा एनीकट	0.73	माडा योजना	0.83	पूर्ण
गोपालपुरा एनीकट	0.99	माडा योजना	1.36	पूर्ण
सेमलिया एनीकट	1.00	जवाहर रोजगार योजना	—	अपूर्ण

सूची 'ब'

एनीकट की सूची जिनके बारे में पंचायत समिति बेगूं को एनीकटस के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं

1. मिण्डिया एनीकट
2. बड़ी खेड़ी एनीकट
3. घारता एनीकट
4. गणेशरा एनीकट
5. डरवता एनीकट

टोंक जिले के सिंचाई बांधों की भराव क्षमता

17. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में सिंचाई विभाग के अधीन कितने बाँध है तथा उनकी भराव क्षमता क्या है ?

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त बांधों में कितना-कितना भराव रहा है ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 169 बांध हैं। जिनकी कुल भराव क्षमता 11078.14 मिलियन घनफिट है।

(2) गत पांच वर्षों में इन बांधों में कुल भराव क्षमता 11078.14 एम. सी. एफ. टी. के विपरीत निम्नानुसार भराव रहा है:

वर्ष	1990	1991	1992	1993	1994
भराव (मिलियन घन फिट में)	4959.14	707.90	6427	5922	8286

यमुना जल बटवारे में पूर्वी राजस्थान को प्राप्त पेयजल

18. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 12 मई, 1994 को यमुना जल बटवारे के सम्बन्ध में हुये समझौते के अनुसार राजस्थान को कितना पानी मिलेगा ? समझौते की शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्वी राजस्थान की पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान को यमुना का पानी जून, 1994 से ही मिलने लग गया है ? यदि हां, तो अब तक कितना पानी पूर्वी राजस्थान को मिला है और इस पानी की मात्रा का निर्धारण किस आधार पर और किसके द्वारा किया गया है ?

(श्री विष्णु मोदी)

(3) अपर यमुना जल नियंत्रण बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में कहां तक प्रगति हो चुकी है ?

(4) यमुना जल बंटवारे के समझौते के अनुसार मिलने वाले पानी को प्राप्त करने के लिए राजस्थान के पास कौन-कौन से साधन हैं और उनसे कितना पानी प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर

(1) दिनांक 12 मई, 1994 को यमुना जल बंटवारे के सम्बन्ध में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान को 1.119 बी.सी.एम. वार्षिक जल मिलेगा। समझौते की प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हाँ। राजस्थान को जून से अगस्त, 1994 तक 0.019 बी.सी.एम. पानी मिला है। यह पानी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्यों से पारस्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत मिला है।

(3) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 2.9.94 की बैठक में अपर यमुना रिवर बोर्ड गठन की अधिसूचना पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेशनल कैपीटल टेरीटरी, दिल्ली एवं राजस्थान के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

(4) वर्तमान में यमुना जल प्राप्त करने हेतु राजस्थान के पास गुड़गांव नहर, भरतपुर फीडर एवं डीग एस्केप वितरण प्रणाली उपलब्ध है जिनकी क्षमता क्रमशः 500, 300 एवं 50 क्यूसेक्स है।

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UTTAR PRADESH, HARAYANA, RAJASTHAN, HIMACHAL PRADESH AND NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI REGARDING ALLOCATON OF SURFECE FLOW OF YAMUNA.

1. WHEREAS the 75% dependable national virgin flow in the Yamuna river upto Okhla has been assessed as 11.70 Billion Qubic Metres (BCM) and the mean year availability has been assessed as 13.00 BCM.

2. AND WHEREAS the water was being utilised by the Basin States Ex-Tajewal and Ex-Okhla for meeting the irigation and drinking water needs without any specific allocation.

3. AND WHEREAS a demand has been made by some Basin States on this account and the need for a specified allocation of utilisation water resources of river Yamuna has been felt for a long time.

4. AND WHERAS to maximise the utilisation of the surface flow of river Yamuna a number of storage porjects have been identified.

5. AND WHERAS the states have agreed that a minimum flow in proportion of completion of upstream storages going upto 10 cumec shall be maintained downstream of Tajewala and downstream of Okhala Headworks throughout the year from ecological considerations, as upstream storages are built up progressively in a phased manner.

6. AND WHEREAS it has been assessed that a quantum of 0.68 BCM may not be utilisable due to flood spills :

7. NOW THEREFORE, considering their irrigation and consumptive drinking water requirements, the Basin states agree on the following allocation of the utilisable water resources of river Yamuna assessed on mean year availability :

1. Haryana	5.730 BCM
2. Uttar Pradesh	4.032 BCM
3. Rajasthan	1.119 BCM
4. Himachal Pradesh	0.378 BCM
5. Delhi	0.724

Subject to the following:

(i) Pending construction of the storages in the upper reaches of the river, there shall be an interim seasonal allocation of the annual utiliable flow of river Yamuna as follows :

STATES	SEASONAL ALLOCATION OF YAMUNA WETERS (BCM)			
	July-Oct.	Nov-Feb.	March-June	Annual
Haryana	4.107	0.686	0.937	5.730
Uttar Pradesh	3.216	0.343	0.473	4.032
Rajasthan	0.963	0.070	0.086	1.119
Himachal Pradesh	0.190	0.108	0.080	0.378
Delhi	0.580	0.068	0.076	0.724
Total	9.056	1.275	1.652	11.983

Provided that the interim seasonal allocation will be distributed on ten daily basis.

Provided further that the said interim seasonal allocations shall get progressively modified, as allocations storages are constructed, to the final allocations as indicated in para 7 above.

(ii) Separate agreement will be executed in respect of each identified strorage within the framework of overall allocation made under this agreement.

(iii) The allocation of available flows amongst the beneficiary States will be regulated by the upper Yamuna River Board within the overall framework of this agreement..

Provided that in a year when the availability is more than the assessed quantity, the surplus availability will be distributed amongest the states in proportion to their allocations.

Provided also that in a year when the availability is less than the asseassed quantity, first the drinking water allocation of Delhi will be met and the balance will be distributed amongst Haryana, U.P., Rajasthan and H.P. in proportion to their allocations.

8. This agreement may be reviewed after the year 20-25, if any of the basin states so demand.

9. We place on record and gratefully acknowledge the assistance and advice given by the union Minister of water resources in arriving at this expeditious and amicable settlement.

New Delhi the 12th. May, 1994.

Sd/- Chief Minister Uttar Pradesh	Sd/- Chief Minister Haryana	Sd/- Chief Minister Rajasthan
Sd/- Chief Minister Himachal Pradesh	Sd/- Chief Minister Delhi	

In the presence of : Sd/- Minister (Water Resources)

काश्तकारों हेतु सिंचाई व्यवस्था

19. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि हंसेरा के कतिपय काश्तकारों ने पानी लिफ्ट करके नहर के किनारे अपनी कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधा प्रदान करने की मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार नीति निर्धारित करके नहर के किनारे के काश्तकारों को सिंचित भूमि में कम से कम पानी देकर अधिक उत्पादन लेने एवं अकाल समस्या से उन्हें निजात दिलाने का प्रयास करेगी ?

उत्तर

जी हां, हंसेरा के काश्तकारों ने कंवरसेन लिफ्ट नहर के किनारे अपनी भूमि में स्वयं की लिफ्ट द्वारा भूमि के लिए सिंचाई सुविधा की मांग की है। कंवरसेन लिफ्ट नहर के मूलभूत आकलन में स्वयं की लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने का प्रावधान नहीं है। जहां तक नीति निर्धारित करके नहर के किनारे काश्तकारों की सिंचित भूमि को कम से कम पानी देकर अधिक उत्पादन लेने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-20
(स्थगित)

शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति

21. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीखा भाई)

(1) जुलाई एवं अगस्त, 1994 में शिक्षकों के व्यापक स्तर पर हुए तबादलों की संख्या क्या रही? क्या यह सही है कि स्थानान्तरण राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर किये गये?

(2) क्या स्थानान्तरण करने से पूर्व स्थानान्तरण की नीति से अध्यापकों को अवगत करा दिया गया? यदि नहीं, तो शिक्षकों के स्थानान्तरण की नई नीति शिक्षा विभाग में क्या बनाई गई तथा शिक्षकों के तबादलों की नीति क्या रही? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभिन्न स्तरों पर स्थानान्तरित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने कई प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जैसे कैन्सर, हृदय रोग, परित्यक्ता इत्यादि। क्या उनका पूर्ण रूप से सत्यापन किया गया या मात्र आधार मान कर उनके स्थानान्तरण निरस्त किये गये? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी। जुलाई एवं अगस्त, 1994 में किये गये शिक्षकों के तबादलों की संख्या निम्नानुसार है—

मण्डल	किये गये तबादलों की संख्या
1. अजमेर	2952
2. कोटा	1904
3. जयपुर	2809
4. उदयपुर	2173
5. चूरु	1791
6. जोधपुर	2385
योग	14014

जी, नहीं।

(2) जी, हां।

नीति निर्देश शिविरा में प्रकाशित किये गये। नीति निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) कैन्सर, हृदय रोग, परित्यक्ता आदि के प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी के ही मान्य हैं।

प्रति

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : पं. 9(55) शिक्षा/ग्रुप-2/86 जयपुर, दिनांक : 3 जून, 1994

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- शिक्षा सत्र 1994-95 में पदस्थापन व स्थानान्तरण हेतु नीति निर्देश।

महोदय,

निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सत्र 1994-95 में पदस्थापन व स्थानान्तरण हेतु नीति निर्देश निम्न प्रकार जारी किये जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले पदस्थापन/स्थानान्तरणों पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :—

1. प्रथम नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में ही की जावे तथा दो वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जावे। परन्तु इससे कम अवधि में भी स्वेच्छा से अन्यत्र स्थानांतरण चाहने पर इच्छित स्थान पर पद रिक्त होने की स्थिति में ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में वरीयता क्रम के अनुसार स्थानांतरण किया जा सकेगा।

2. सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक विद्यालय में विभागीय मानदण्ड के अनुसार विषयाध्यापक उपलब्ध है, मानदण्ड से अधिक विषयाध्यापक होने की स्थिति में अधिशेष अध्यापकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जावे जहाँ विषयाध्यापक की आवश्यकता हो। अधिकतम स्थानीय ठहराव वाले अध्यापक को ही अन्यत्र भेजा जावें।

3. जिन वरिष्ठ अध्यापकों/व्याख्याताओं का परीक्षा परिणाम गत तीन वर्षों में अनवरत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधित विषयों के औसत परीक्षा परिणाम से कम रहा है, उन्हें सुविधाजनक स्थान से असुविधाजनक स्थानों पर स्थानांतरित किया जावें।

4. विधवा एवं परित्याक्ता महिलाओं को यथासंभव उनके इच्छित ग्रामीण स्थानों पर अथवा शहरी क्षेत्र के समीप के स्थानों पर पदस्थापित किया जावे।

5. सेवारत पति/पत्नी को ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्थान पर पदस्थापित किया जा सकता है।

6. पदोन्नति पर पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जावे तथा दो वर्ष तक लगातार पदोन्नति का परित्याग करने वाले व्यक्ति को स्थानातरण अन्यत्र ग्रामीण बैंक में किया जावे।

7. पारस्परिक स्थानान्तरण दो वर्ष के न्यूनतम ठहराव होने पर समान विषय का ध्यान रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में किये जा सकते हैं।

8. जिन अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम अनवरत 5 वर्षों तक शत प्रतिशत रहे हैं उन्हें इच्छित स्थान पर पदस्थापन में वरीयता दी जावे बशर्ते कि वे पहले इच्छित स्थान पर पदस्थापित नहीं रहे हों।

9. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को उनके इच्छित स्थान पर पदस्थापन में वरीयता दी जावे।

10. जनहित में आवश्यक होने पर या गंभीर शिकायत होने पर एवं अन्य अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण अगले उच्च अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर किये जा सकेंगे।

11. दुर्ग सीमावर्ती स्थानों पर पदस्थापित सैनिकों की पत्नियों को उनके इच्छित स्थान पर रखने/पदस्थापित करने में वरीयता दी जावे।

12. रिक्त स्थान होने पर पुरुष सेट अप में कार्यरत महिलाओं को महिला सेट अप में एवं महिला सेट अप में कार्यरत पुरुषों को पुरुष सेट अप में सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थानांतरित किया जा सकेगा। परन्तु इसके विपरीत सेट अप परिवर्तन के अधिकार विभागाध्यक्ष में ही निहीत रहेंगे।

13. किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध है तथा ऐसी प्रतिनियुक्ति नहीं की जावे।

14. ऐसे समस्त विषयाध्यापक एवं व्याख्याता जो विषय अध्यापक के अलावा अन्य पदों पर कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण विषय अध्यापकों के रिक्त पदों पर किया जावे।

15. जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष शेष हैं उनका स्थानांतरण अपरिहार्य कारणों के अलावा इच्छित स्थान से नहीं किया जावे।

16. केन्सर, एड्स, पक्षाघात एवं गंभीर विकलांग व्यक्तियों का स्थानांतरण उनके इच्छित स्थान पर करने में प्राथमिकता दी जावें। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी स्वयं को पूर्णतया सन्तुष्ट कर ही निर्णय लेवें। गलत सूचना देने वाले व्यक्ति तथा बिना औचित्य के स्थानांतरण करने पर सक्षम अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

17. स्थानांतरण 16 जून 1994 से 20 जून 1994 के मध्य किये जावें तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी शिक्षक अपने पदस्थापन के स्थान पर दिनांक 27.6.94 को उपस्थिति दें। नवनियुक्त शिक्षकों को स्थानांतरण के पश्चात् रहे ग्रामीण क्षेत्रों के रिक्त पदों पर उनके प्रशिक्षण के पश्चात् पदस्थापित किया जावें।

18. स्थानान्तरण करने हेतु सक्षम अधिकारी :—

1. जिला शिक्षाधिकारी (छात्र/छात्रा/प्राशिक्षा)	1. तृतीय श्रेणी शिक्षक/शारीरिक शिक्षक के स्थानांतरण (अन्तर जिला एवं अन्तमण्डल सहित)
	2. वरिष्ठ अध्यापक/शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी के स्थानान्तरण (स्वयं के जिले में ही)
2. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	1. प्रयोगशाला सहायक/पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थानान्तरण (अन्तर जिला/अर्न्तमण्डल सहित)
3. मण्डल अधिकारी (पुरुष/महिला)	1. व्याख्याता एवं समकक्ष पद (स्वयं के मण्डल में ही)
	2. वरिष्ठ अध्यापक/द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षा के अन्तर जिला/अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण
	3. कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालयाध्यक्ष, आशुलिपिक (द्विवेश्र स्वयं के मण्डल में ही) यह स्थानान्तरण मण्डल अधिकारी (पुरुष) द्वारा ही किये जावेंगे।
4. निदेशक	1. प्रधानाध्यापक, उप-प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य तथा समकक्ष पद।
	2. व्याख्याताओं के अन्तरमण्डल स्थानांतरण

19. अन्तर जिला/अन्तर मण्डल स्थानातरण हेतु संबंधित जिले/मण्डल जहाँ इस प्रकार के स्थानान्तरण प्रस्तावित हैं, में तत्सम्बन्धित संवर्गवार, विषयवार अध्यापकों के सत्र 1994-95 के कुल रिक्त पदों के 5 (पांच) प्रतिशत से अधिक संख्या में ऐसे स्थानान्तरण नहीं किये जा सकेंगे। इस हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र अग्रेषित करते समय, निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं वांछित प्रमाण-पत्र भी देना होगा।

20. किसी व्यक्ति के स्थानान्तरण से व्यथित होने पर स्थानांतरित स्थान पर कर्यग्रहण करने की तिथि से एक सप्ताह में परिवेदना समिति को अभ्यावेदन दिया जा सकेगा एवं परिवेदना समिति अभ्यावेदन का निस्तारण प्राप्त होने की तिथि से एक माह में अवश्य करेगी। अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति को स्थानांतरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उसके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। इस हेतु संभागीय व जिला स्तर पर परिवेदना समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :—

पुरुष सेट अप		महिल सेट अप	
1. मण्डल अधिकारी	अध्यक्ष	1. मण्डल अधिकारी	अध्यक्षा
2. जिशि.अ(छात्र)	सदस्य	2. जि. शि. अ. (छात्रा)	सदस्य
3. जि. शि. अ. (प्राशि)	सदस्य		

परिवेदन समिति के निर्णय के विरुद्ध निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को अभ्यावेदन एक माह में प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

21. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के पश्चात् 3 माह तक किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किये जायेंगे एक बार स्थानांतरण आदेश जारी करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उप निदेशक अपने स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन अथवा निरस्तीकरण अगले उच्च अधिकारी की सहमति प्राप्त कर ही कर सकेंगे।

उपर्युक्त नीति निर्देश विभागीय मार्गदर्शनार्थ प्रसारित किये जा रहे हैं, अतः इन्हें लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही सक्षम नहीं होगी।

विभागीय स्थानान्तरण नीति के संबंध में पूर्व में जारी सभी निर्देश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

भवदीय,
ह.
(अभिमन्यु सिंह)
शिक्षा सचिव

उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण पर व्यय

22. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण पर गत दो वर्षों में कोई धनराशि व्यय की है? यदि हां, तो किन भवनों पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन विद्यालयों की मरम्मत, विकास एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु कोई बजट स्वीकृत है? यदि हाँ, तो इस वर्ष उसका बटवारा किन मानदण्डों पर किया गया?

(3) क्या सरकार ने राजकीय विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डों से अपर्याप्त भवनों को पर्याप्त करने हेतु कोई राशि स्वीकृत की है?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हाँ।

विद्यालयों की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार राशि स्वीकृत की जाती है।

(3) जी, हां।

वर्ष 1994-95 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु 425.00 लाख रुपए का प्रावधान रखा हैं।

राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर

23. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(1) राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में कौन-कौन से पाठ्यक्रम कब-कब से चल रहे हैं व सीटों की संख्या क्या है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम को शुरू करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से एवं इस सम्बन्ध में अब तक विभाग के स्तर पर क्या-क्या प्रयास हुए हैं?

(3) क्या सरकार को राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या विभाग इस संबंध में विचार कर रहा है? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या-क्या प्रयास हुए?

उत्तर

(1) राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में निम्नांकित पाठ्यक्रम उनके सामने अंकित वर्ष से चल रहे हैं :—

पाठ्यक्रम	वर्ष
सीपीएड	1957
डीपीएड	1957

इन पाठ्यक्रमों के लिये आवंटित सीटों की संख्या निम्न है—

1. सीपीएड	180
2. डीपीएड	90

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति

24. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सेठ प्रताप रामेश्वर लाल सहरिया सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, कालाडेरा, जिला जयपुर में अध्ययनरत ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को भी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन छात्रों को भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल के कुछ प्रतिभावान छात्रों को सत्र 1992-93 व 1993-94 की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना शेष है? यदि हां, तो किस-किस छात्र को और शेष बचे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे एवं इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हाँ। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हाँ।

सेठ प्रताप रामेश्वर लाल सहरिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, कालाडेरा (जयपुर) के संगीता/ज्ञान किशोर, नितिन कुमार नेत्रपाल, एवं बजरंग लाल/बोदूराम (प्रत्येक छात्र को) 300/- की ग्रामीण प्रतिभावना छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है।

(3) उक्त संस्था को वर्ष 1992-93 में कोई छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गयी थी। वर्ष 1993-94 में उक्त तीन छात्रों को भुगतान 23-3-94 को स्वीकृत किया गया। भुगतान न होने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

Ministry of Education and Youth Services

Sub :– National Scholarships at the secondary stage for talented children from rural areas.

The Government of India has a special responsibility for identification and development of talent. From this point of view, it is now operating a programme of National Scholarships at the university stage under which 8,500 awards are made every year and a programme of Loan Scholarships at the same stage under which 20,000 awards are made each year.

2. Need for the Scheme : The Central Programme of scholarships at the school stage, however, is very limited and consists only of 200 scholarships a year given to talented students for education in residential schools including public schools. The scholoarships which the State Governments provide at the school stage are also limited and although the small amounts they provide are generally adequate to meet the incidental expenses of a student who is staying at home and attending a secondary school in his neighbourhood, they do not enable him to join a good school in a distant place which ordinarily involves a stay in a hostel. There is also no attempt to evolve a 'placement' programme in the sense of securing admission to a talented student in a selected good school. There is, therefore, a good deal of elimination of potential talent at the secondary stage, especially in rural areas. The Education Commission recommended institution of a fairly large scholarships programme at the secondary stage, combined with placement and a special accent on rural areas, to reduce this waste and to ensure that we will get a much better return for the investment in scholarships which we now make at the university stage. It is to give effect to this recommendation that the scheme has been designed.

3. Outline of the Scheme : (1) The primary unit of competition adopted for the scheme is the community development/tribal block. It is our experience that when the primary unit of selection is large (e.g. a State), most of the scholarships go to urban students or to those who come from good urban schools and the rural areas are neglected. This happens at the district level also. This is because competition is uneven, and the rural students educated in poor rural schools find it difficult, in spite of thier native talent, to compete with urban students educated in good schools. It is, therefore, proposed that although a common state-level scholarship examination will be organised (Papers to be set at the state level but examined at the district level), the selection of scholarship holders will be

made on a Block basis and two students who stand first and second in the examination in each community development block will be selected. This will broad-base the search for talent and net a far wider pool of rural talent.

(2) The next step in the programme will be placement. Good schools in each District will be identified and they will be required to reserve a certain percentage of seats for the scholarship holders, and each scholarship holder will be placed in a selected good school.

(3) In the first year of their selection, some of the rural students, in spite of the fact that they have stood first or second in their areas, will be found to be comparatively weak and may need some special aid to adjust themselves to their new schools in the course of their studies. It will be regarded as the responsibility of the selected schools to help them to do so. Provision will be made in the scheme to pay them small grants, where necessary, for evolving suitable programmes for the purpose.

4. **Adminisatration and Finance:** The Scheme will be administered as a Central Scheme (like the scheme of national leaderships at the university stage), but through the State Government who will hold the scholarships examinaton, select scholars, arrange for their placement, and make payments, to scholars, a small unit for this purpose will be set up in each State Institute of Education and a coordinating, planning, evaluating and research unit will be set up at the national level in the NCERT. The nature of the examination will be unique in the sense that it will be specially designed to test, not only achievement, but native talent as well. However, when the National Scholarships Board will be set up, the scheme wil, be transferred to the Board for administration.

5. There are about 5,000 blocks, so the number of scholarships will be 10,000 in the first year. It will rise to 35,000 or so in the fourth year (the duration of the secondary course is 3 or 4 years) where it will stabilise. The cost of each scholarship, including administrative costs, will be about Rs. 1000 a year so that the cost of the entire programme will begin at Rs. One crore and rise to Rs. Three-to-four crores at the end.

6. Preparatory work will be done in 1970-71 and the scholarships will be awarded from 1971-72 on the basis of the phased programme indicated above. However, every effort will be made to start the programme even during this year on a pilot basis. The cost will be Rs. One crore in 1971-72, two in 1972-73 and three in 1973-74 or Rs. 6 crores in all. Provision for this has been made in the Ministry's plan (central sector). In due course, the

number of scholarships may be increased, as funds become available to five per block.

7. A special working group will be set up, as soon as the scheme is broadly approved, to work out the details for the implementation of the scheme.

8. It is hoped that the scheme will result in the greater equalisation of educational opportunity, provide a great filling to the development of rural talent and promote national integration.

टोडाभीम क्षेत्र में नवीन मण्डी का निर्माण

25.श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सरकार नई मण्डी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस स्थान पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितनी कृषि उपज मण्डी समितियाँ हैं? क्या कृषि उपज मण्डी द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कोई सड़क बनाई गयी है? यदि हां, तो कहां? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम त्रिशुल में खसरा नं. 183/1 की भूमि में से 10 बीघा आवंटित भूमि पर गौण मण्डी यार्ड बनाया जाना प्रस्तावित है।

(2) सवाईमाधोपुर जिले में क्रमशः तीन कृषि उपज मंडी समिति, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, एवं हिण्डौन स्थापित है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बनायी गयी सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है—

तहसील टोडाभीम—

क्र.सं. सड़क का नाम	कि.मी. लम्बाई	निर्माण वर्ष
1. टोडाभीम रोड से पावटा गांव	1.00	1982-83
2. लिंक रोड से पावटा गांव	1.00	1982-83
3. टोडाभीम से रंगलाल का पुरा	1.50	1983-84
तहसील नादोती—		
1. सम्पर्क सड़क नादोती से बरदाला	4.00	1992-93

कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर में पदस्थापित कनिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी

26.श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कनिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी, कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर के पद पर वर्तमान में कौन कब से पदस्थापित है?

(2) उक्त अधिकारी अपने सेवा काल के दौरान कब-कब, कहां-कहां पदस्थापित रहा तथा कहां-कहां इन पर किस-किस प्रकार के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोप थे? पूर्ण विवरण आरोपों की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्री दयाराम परमार)

(3) क्या इनके विरुद्ध कोई जांच की गई? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब, किस-किस प्रकरण में किस-किस अधिकारी द्वारा? जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निलम्बित कर इनके विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराकर दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर में कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी का कोई पद नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कृषि विपणन उदयपुर के कार्यालय में कनिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी के पद पर श्री अवध बिहारी माथुर, दिनांक 11.9.93 तथा इसी प्रकार उप निदेशक (सर्वेक्षण एवं सतर्कता) कृषि विपणन विभाग, उदयपुर के कार्यालय में श्री महाराज सिंह दिनांक 1.4.93 एवं श्री दीपेन्द्र शर्मा दिनांक 5.2.94 से कार्यरत है।

(2) उक्त अधिकारियों के सेवा विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है। श्री अवधबिहारी माथुर के सेवा काल में प्राप्त हुई शिकायतों का विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) श्री अवध बिहारी माथुर कनिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त 4 शिकायतों की प्रारंम्भिक जांच करवाने के उपरान्त आधारहीन पायी गयी है। ये जांच सहायक निदेशक, उदयपुर द्वारा करायी गयी थी प्राथमिक जाचं रिपोर्ट परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(4) प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप शिकायतें आधारहीन पाये जाने के कारण निलम्बन व दण्डित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीजों का वितरण

27.**श्री भरत सिंह (खानपुर)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धनिये के अनुसंधान के बाद कौन-कौन से प्रमुख बीज प्रदेश में विकसित किये गये हैं?

(2) क्या कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में गत वर्षों में इन विकसित बीजों का वितरण किया गया है? यदि हां, तो वह कौन-कौनसे उपखण्ड हैं?

(3) कोटा, बांरा, झालावाड़ जिलों में विगत 5 वर्षों में किन-किन कृषकों को धनिये के उन्नत किस्म के बीजों का वितरण मिनीकिट के रूप में किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धनिये के अनुसंधान के बाद इसकी दो किस्में प्रदेश में विकसित की गयी हैं—

(1) आर.सी.आर. 41(2) यू.डी. 20

(2) जी हां, कोटा, बारां, एवं झालावाड़ जिलों में गत वर्षों में आर.सी.आर. 41, किस्म के विकसित बीजों का वितरण किया गया है, उपखण्ड निम्नानुसार है—

कोटा जिले के अन्तर्गत रामगंज मण्डी एवं सुल्तानपुर,

(कृषि राज्य मंत्री)

बारां जिले के अन्तर्गत बारां एवं छबड़ा,

तथा झालावाड़ जिले के अन्तर्गत झालावाड़ एवं भवानी मण्डी

(3) कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों के कृषकों को विगत वर्ष 1989-90 से 93-94 तक धनिये के उन्नत किस्मों के लिए मिनिकिट वितरित किए जाने संबंधी सूचना परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

व्यापारिक कृषि जिन्सों का समर्थन मूल्य

28. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार किसानों को उन जिन्सों का समर्थन मूल्य देने का विचार रखती है जिनका समर्थन मूल्य केन्द्र द्वारा नहीं दिया जा रहा है जैसे फल व जीरा प्याज, लहसुन, सब्जी आदि ?

उत्तर

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन विकास निगम द्वारा निजी क्षेत्रों को सुपुर्द कार्य

29. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पर्यटन विकास निगम ने कुछ कार्य निजी क्षेत्रों को सौंपने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य कब-कब और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष विभाग और निगम कौन-कौन से कार्य हाथ में ले रहे हैं? इस पर कितनी-कितनी लागत आयेगी और वह कब तक पूर्ण होंगे तथा इसमें भारत सरकार व राज्य सरकार की कितनी-कितनी राशि खर्च होगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य के पर्यटन विकास निगम ने माउण्ट आबू में स्थित सरोवर केफेटेरिया दिनांक 2-3-94 से तथा जयसमन्द ट्यूरिस्ट बंगलों का दिनांक 1-3-94 से संचालन निजी क्षेत्र को सौंपा है। चूंकि यह इकाइयाँ घाटे में चल रही थीं। अतः इनको खुली निविदायें आमन्त्रित करने के पश्चात् निदेशक मण्डल की अनुमति से निजी क्षेत्र को सौंपा गया है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि प्रथमतः निगम की जो इकाइयाँ घाटे में चल रही हैं, उनको लाभ में लाने हेतु पूरे प्रयास किये जायें तथा यदि वे मार्च, 95 तक लाभ में नहीं आती हैं तो उनका संचालन निजी क्षेत्र की प्रमुख होटल व्यवसाइयों की खुली निविदायें आमन्त्रित करने के पश्चात् दिया जा सकेगा। निदेशक मण्डल ने यह भी निर्णय ले लिया है कि जनवरी, 1995 के पश्चात् आरम्भ की जाने वाली समस्त नई इकाइयों का संचालन भी निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ किया जाये।

(3) वर्ष 1994-95 में पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

उक्त अधिकांशः कार्य राजस्थान पर्यटन विकास निगम की मार्फत करवाये जाएंगे।

वर्ष 1994-95 में पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची

क्र.सं.	विकास कार्यों का विवरण	राशि (लाखों में)
1.	जयपुर के नाहरगढ़ किला, हवामहल, जन्तर-मन्तर, रानीजी की छतरी और गैटोर स्मारकों का विस्तृत विकास।	80.00
2.	जलमहल विकास के लिए पर्यटन विभाग का अनुदान	10.00
3.	आगरा रोड पर फ्लड़ रोशनी	5.00
4.	परशुराम द्वारा का म्यूज्यिम के रूप में विकास	20.00
5.	हाथीग्राम एवं ट्यूरिस्ट काम्पलेक्स	18.00
6.	पुष्कर घाटों का विकास	24.00
7.	अकबरी किले का पुनरूद्वार	12.64
8.	कुम्भलगढ किले का विकास (वाटर सप्लाई, इन्टरप्रिटेशन, सैन्ट दीवार की मरम्मत, लेण्डस्केपिंग, विद्युत इलीम्यूनेशन एवं ट्यूरिस्ट काम्पलेक्स)	93.70
9.	जालौर किले के लिए एप्रोच सड़क (मेटेरियल कम्पोनेण्ट)	35.00
10.	चित्तौड़गढ़ पर विकास कार्य (सार्वजनिक सुविधाएं, लैण्ड स्केपिंग, सौन्दर्यकरण के मैचिंग सांइट का विकास, पानी की प्याऊ)	30.50
11.	एप्रोच रोड वाक-वे तथा पीने के पानी की सुविधा (गागरोन किला)	25.50
12.	बालाकिला, अलवर का विकास	15.00
13.	रणथम्भौर किले का विकास (पानी इन्टरप्रिटेशन सैण्टर) लेण्डस्केपिंग, सौन्दर्यकरण, केम्पिग साइड का विकास	27.20
14.	ट्यूरिस्ट स्वागत इन्फोरमेशन ब्यूरो, झुन्झुनू	5.00
15.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, माउण्ट आबू, सवाई माधोपुर, कोटा, बीकानेर	60.00
16.	विभिन्न स्थानों पर लगायी गई फ्लड लाइटों का रख-रखाव	10.00
17.	ओसियां मन्दिर काम्पलेक्स का विकास (भूमि के अधिग्रहण सहित)	27.84
18.	मेवाड़ काम्पलेक्स में विकास कार्य	40.00
19.	मंत्रिय कण्ड चित्तौड़गढ़ में सार्वजनिक सुविधाऐ	10.00
20.	रुठीरानी का महल जयसमन्द, उदयपुर एप्रोच रोड़ निर्माण	8.20
21.	तालछापर पर सार्वजनिक सुविधाएं (इन्टरप्रिटेशन सेण्टर सहित)	10.00
22.	समस्त ट्यूरिस्ट साइट्स पर सिगनेज सिस्टम	20.00
23.	मानसरोवर लेक का विकास हाउस वोट, पेडल बोट्स एवं केफेटेरिया	30.00
24.	मिन्नी नक्की लेक माउण्ट आबू का विकास	6.00
25.	माउण्ट आबू में 4 स्थानों पर पानी एवं सार्वजनिक सुविधाएँ	10.00
26.	अन्य विविध निर्माण कार्य एक मुश्त	19.52
	योग	652.60

सूची

वर्ष 1994-95 में केन्द्रीय सहायता से किये जाने वाले विकास कार्य

क्र.सं.	विकास कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	
1.	पर्यटक विश्राम गृह, हनुमानगढ़	30.00	
2.	पर्यटक विश्राम गृह, भीलवाड़ा	30.00	
3.	मिडवे, टौंक (जयपुर-सवाई माधोपुर)	15.00	
4.	मिडवे, सांचोर (जैसलमेर-अहमदाबाद)	10.00	
5.	मिडवे, बाप (जैसलमेर-अहमदाबाद)	10.00	
6.	यात्रिका, केलादेवी (सवाई माधोपुर)	25.00	
7.	यात्रिका, मेहन्दीपुर का बालाजी (दौसा)	25.00	
8.	ट्यूरिस्ट विलेज, झालावाड़	30.00	
9.	स्वीस टेण्ट मय टॉयलेट की खरीद 7100	25.00	
10.	जलक्रीडा यंत्रों की खरीद	25.00	
11.	जैसमेर गेट जीर्णोद्वार	12.00	राज्य हिस्सा
12.	पटवों एवं सालिम सिंह की हवेलियों का संरक्षण	50.00	50%
13.	प्रचार सहायता	15.00	
	योग	302.00	

जवाहर रोजगार योजना के तहत छीपा बड़ौद में सड़क निर्माण

30. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : एवम् **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (चिड़ावा) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छीपा बड़ौद पंचायत समिति में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसी सड़कें प्रस्तावित हैं? सूची सड़क के नाम व लागत सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं तो, क्यों? सूची मय सड़क के नाम सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) छीपा बड़ौद पंचायत समिति में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 21 सड़कों की सूची मय सड़क के नाम के लागत सहित संलग्न कर प्रेषित है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित 21 सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

55

छीपाबड़ौद पंचायत समिति में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों की सूची

क्र.सं.	प्रस्तावित सड़क कार्य का नाम मय ग्राम	ग्राम पं.	दूरी (किमी)	प्रस्तावित राशि श्रम	सामग्री	कुल योग	विशेष विवरण
1.	लिंक रोड हरनावदा शाहजी से सालरखी	हरनावदा शाहजी	2.00	0.64	0.16	0.80	मिट्टी का कार्य ही प्रस्तावित किया है।
2.	हरनावदाशाहजी से फूल वड़ौद	" "	2.00	0.64	0.16	0.80	
3.	फलिया से अजनावर वाया- बीन्दाराड़ी	मोखमपुरा	10.00	3.20	0.80	4.00	
4.	खेड़ला से खेडली	" " "	5.00	1.60	0.40	2.00	
5.	हरनावदा शाहजी से परवन नदी	हरनावदा शाहजी	2.00	0.64	0.16	0.80	
6.	टांचा से कोहनी	फूलबड़ौद	5.00	1.60	0.40	2.00	
7.	मवासा से गुलखेड़ी	फूलबड़ौद	5.00	1.60	0.40	2.00	
8.	कालया से काटड़ा भगवान	भावपुरा	2.00	0.64	0.16	0.80	
9.	भावपुरा से बमोरी	" "	3.00	0.96	0.24	1.20	
10.	बमोरी से बिलेन्डी	बिलेन्डी	6.00	1.92	0.48	2.40	
11.	सारथल से भावपुरा	सारथल	3.00	0.96	0.24	1.20	
12.	गगचाना से मण्डोला	गगचाना	5.00	1.60	0.40	2.00	
13.	पछाड़ से कोहनी	बमोरीधाड़ा	8.00	2.56	0.64	3.20	
14.	बमोरीधाटा से गणेशपुरा	बमोरीधाडा	2.00	0.64	0.16	0.80	
15.	बमोरीधाटा से गणेशपुरा	बमोरीधाडा	2.00	0.64	0.16	0.80	
16.	देवरीजोध से खेडला	देवरीजोध	3.00	0.96	0.24	1.20	
17.	रोड से पीपलहेड़ा	गोरधनपुरा	1.00	0.32	0.08	0.40	
18.	रोड से राजपुरा	गोरधनपुरा	2.00	0.64	0.16	0.80	
19.	गोरधनपुरा से तुमड़ा	गोरधनपुरा	2.00	0.64	0.16	0.80	
20.	ढोलम से बीन्दाराड़ी	ढोलम	5.00	1.60	0.40	2.00	
21.	परोलिया से रतनपुरा	ढोलम	1.00	0.32	0.08	0.40	
		योग	76.00 (कि.मी.)	24.32	6.08	30.40	

ह0/-

अतिरिक्त कलक्टर (विकास)

बारां

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सहायक अभियन्ता

31.**श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विशिष्ट योजना विभाग में कुल कितने पद सहायक अभियन्ताओं के हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों पर कितने सहायक अभियन्ता कौन-कौन से विभाग से प्रति नियुक्ति पर कार्यरत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला विकास अभिकरण में अधिकतर कार्य सिविल इंजीनियरों का होता है? यदि हां, तो फिर सिविल इंजीनियरों को नहीं लगाकर अन्य को इन पदों पर क्यों नियुक्त किया जाता है।

(4) क्या राज्य में ऐसे भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हैं, जिनमें एक भी सिविल इंजीनियर नियुक्त नहीं है? यदि हां, तो कौनसा और क्यों?

उत्तर

(1) विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग में मुख्यालय पर 3 पद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में 48 पद सहायक अभियन्ताओं के हैं। इन पदों में से 16 पदों पर कनिष्ठ अभियन्ता एवं 35 पदों पर सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं। जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार विवरण संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में अधिकतम कार्य सिवील इंजीनियरों का होता है। विभिन्न योजनाओं में भवन/सड़क निर्माण कार्यों के अलावा बंजड़ भूमि विकास कार्यक्रम, मरू विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, भू-संरक्षण कार्यक्रम, जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं, बायोगैस मैसिव और जीवनधारा आदि योजनाओं में कई प्रकार के कार्य होते हैं। कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, सा.नि. विभाग (भवन/पथ) से प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक अभियन्ताओं के पैनल भेजने हेतु लिया जाता है जिसमें उपलब्धता व कार्यों की आवश्यकतानुसार उपलब्ध पैनल में से विभिन्न अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर इंजीनीयर लगाये जाते हैं।

(4) विभिन्न योजनाओं के कार्य के अनुसार सहायक अभियन्ता लगाये जाते हैं।

विवरण

सहायक अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों की सूची (जिला ग्रा.विकास अभिकरणों में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कुल स्वीकृत पद	विभाग जहां से प्रतिनियुक्ति पद पदस्थापित किए गए है : कृषि विभाग	(सिचांई विभाग)	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	डीआर-डीए, अजमेर	1	1	–	1
2.	” ” अलवर	2	1	1	2
3.	” ” बाड़मेर	1	1	–	1
4.	” ” बारां	2	1	1	2
5.	” ” बांसवाड़ा	2	2	–	2
6.	” ” भरतपुर	2	2	–	2
7.	” ” बीकानेर	1	1	–	1
8.	” ” भीलवाड़ा	3	3	–	3
9.	” ” बूंदी	2	1	1	2
10.	” ” चित्तौड़गढ़	3	3	-	3
11.	” ” चूरू	1	1	-	1
12.	” ” धोलपुर	1	1	-	1
13.	” ” दौसा	1	–	1	1
14.	” ” डूंगरपुर	2	2	-	2
15.	” ” गंगानगर	1	1	-	1
	योग	25	21	4	25

(57)

1	2			3	4	5	6
पिछला योग				25	21	4	25
16.	"	"	हनुमानगढ़	1	1	-	1
17.	"	"	जयपुर	2	2	-	2
18.	"	"	जैसलमेर	1	1	-	1
19.	"	"	जालौर	1	1	-	1
20.	"	"	झालावाड	2	1	1	2
21.	"	"	झुन्झुनू	1	1	-	1
22.	"	"	जोधपुर	1	1	-	1
23.	"	"	कोटा	2	2	-	2
24.	"	"	नागौर	1	1	-	1.
25.	"	"	पाली	1	1	-	1
26.	"	"	राजसमंद	2	2	-	2
27.	"	"	सीकर	1	1	-	1
28.	"	"	सिरोही	1	1	-	1
29.	"	"	सवाईमाधोपुर	2	1	1	2
30.	"	"	टोंक	2	1	1	2
31.	"	"	उदयपुर	2	2	-	2
			कुल योग	48	41	7	48
32.	मुख्यालय (वियोएएमवि)			3	2 कृषि विभाग एवं वियोग्रावि, जयपुर		3

(58)

टोडाभीम के आंगनबाड़ी केन्द्र

32.**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या महिला बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन केन्द्रों में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नादौती, टोडाभीम में आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकार ने वर्ष 1992 से वर्ष 1994 के बीच समाप्त किया है? यदि हाँ, तो उनमें कार्यरत कर्मचारियों को कहां लगाया? यदि नहीं, तो सरकार उनको कब तक लगाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 171 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं है। आंगन बाडी केन्द्रों के संचालन हेतु मानदेय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत है। जिनकी सूची परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है कि बाल विकास परियोजना, टोडाभीम, नादौती में आंगनबाड़ी केन्द्रों को वर्ष 92 से 94 के बीच समाप्त किया है। बाल विकास परियोजना, टोडाभीम ग्रामीण परियोजना, होने के कारण भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बालकापुरा, रंगलाल का पुरा, टोडीपाडा, कोजीपाडा, खादरा पाडा, ताता कुंआ व जिन्सीपुरा, नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया था, साथ ही उक्त केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को भी स्थानान्तरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्य करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके विरुद्ध कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है। जिसको खारिज करवाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकार न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण न्यायालय के निर्णय उपरांत ही तदानुसार उचित कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)